₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

अगस्त 2024

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PS-35

संसद से सड़क तक न्यायालय के फैसले का विरोध!

मुद्दा आरक्षण का

स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ।

METHODIST HOSPITAL
PRATAPSAGAR BUXAR

-: सुविधाएँ :-
सभी सुविधाओं से लैश।
मुफ्त रेलवे पास।
गरीब रोगियों को विशेष छूट।

प्रताप सागर,
बक्सर-802101 (बिहार)

डॉ0 आर.के. सिंह

स्वच्छ दानापुर सुन्दर दानापुर

कार्यालय नगर परिषद् दानापुर निजामत

तकियापर, दीघा, दानापुर

आप सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस,
रक्षा बंधन एवं विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।

शिल्पी देवी
अध्यक्ष

सरिता देवी
उपाध्यक्ष

राजू राजनाथ जायसवाल
उपाध्यक्ष प्रतिनिधि

पंकज कुमार
ई.ओ., दानापुर

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

काजोल
05 अगस्त 1974

वेंकटेस प्रसाद
05 अगस्त 1969

कपिल सिब्बल
08 अगस्त 1948

महेश बाबू
09 अगस्त 1975

सुनील शेट्टी
11 अगस्त 1961

सीताराम येचुरी
12 अगस्त 1952

स्व०श्रीदेवी कपूर
13 अगस्त 1963

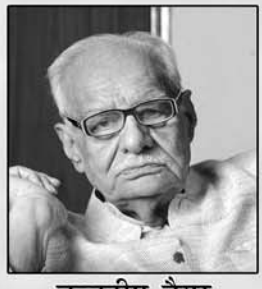

कुलदीप नैयर
14 अगस्त 1923

सुनीधी चौहान
14 अगस्त 1983

अदनान सामी
15 अगस्त 1973

अरविन्द केजरीवाल
16 अगस्त 1968

सैफ अली खान
16 अगस्त 1970

दलेर मेंहदी
18 अगस्त 1967

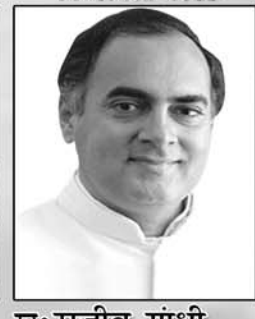

स्व० राजीव गांधी
20 अगस्त 1944

रणदीप हुड्डा
20 अगस्त 1976

चिरंजिवी
22 अगस्त 1955

मधुर भंडारकर
26 अगस्त 1966

मेनका गांधी
26 अगस्त 1956

दिलीप सिंह खली
27 अगस्त 1972

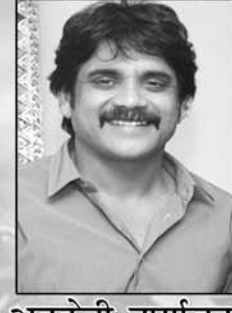

अक्केनी नार्गाजुन
29 अगस्त 1959

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha, A-68, 1st Floor, Nageshwar Talla Shastri Nagar, New Delhi - 110052 Mob.- 09868700991, 09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal) Mob.- 09433567880 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पक्ष एवं विपक्ष के टारगेट पर हैं योगी

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

" अध्यात्तम एवं अपराध के लिए देश भर में मशहूर उत्तर प्रदेश को 2017 में शासन का कमान संभालते हीं अपराध पर जहां नकेल कसने के लिए एनकाउंटर शुरू हो गया तथा अध्यात्तम को प्राथमिकता मिलने लगी। प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए बाबा योगी ने बुलडोजर की स्पीड ऐसी बढ़ाई की अपराधी चाहे राजनीति से जुड़े हो या आपराधिक संगठन से, उनका वजूद खंडहर में तब्दील हो गया। इसका लाभ 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मिला और बाबा के बुलडोजर ने विपक्ष को इस हालत में पहुंचा दिया की 05 साल बाद हुए 2022 के विध ानसभा चुनाव में भी वह जनता का विश्वास नहीं जीत सकी। आमजनता बाबा के साथ हैं लेकिन विपक्ष की तरह खुद के पार्टी में बाबा पर बुलडोजर चलाने के लिए कूटनीति कर रहे हैं। हैरत की बात तो यह है की इसमें देश के दिग्गजों को भी मशक्कत करनी पड़ रही है पर बाबा तो बाबा हैं..... "

बाबा योगी आदित्यनाथ ने जब 2017 में उत्तरप्रदेश की कमान संभाली और अपने हिन्दूवादी तेवर को दिखाना शुरू किया और बगैर कोई भेदभाव के अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए बुलडोजर चलाना शुरू किया। देश की जनता को लगता था की बुलडोजर का काम सिर्फ ठेकेदार विकास हेतु निर्माण कार्य में करते हैं लेकिन बाबा ने इसका इस्तेमाल अपराधियों के आतंक से मुक्ति दिलाने में प्रारंभ किया और योगी आदित्य नाथ का उपनाम बुलडोजर बाबा भी हो गया। बाबा के बुलडोजर से सिर्फ विपक्ष या अपराधी हीं परेशान नहीं हैं बल्कि भाजपा के बड़े नेताओं की भी नीद हराम कर दी है। वैसे तो दिग्गज बाबा को 2017 में भी मुख्यमंत्री का ताज नहीं सौंपना चाहते थे लेकिन 2017 से 2022 के बीच बाबा की बुलडोजर की बढ़ती लोकप्रियता ने 2022 से 2027 के लिए जनमत दे दिया लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार का ठीकरा बाबा पर फोड़ा जा रहा है और किसी को मोहरा बनाकर बाबा को बुलडोजर की राजनीति करके उनपर ही बुलडोजर चलाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इस बात की चर्चा आम है कि लोकसभा चुनाव में बाबा के द्वारा भेजे गये नाम को 2024 में सांसद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया क्योंकि देश यह जान गया है कि बाबा अगर देश की राजनीति में प्रमुख पद पर आ गये तो भारत को हिन्दूराष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं पायेगा, बस यही से होती है राजनीति क्योंकि 130 करोड़ जनता का विश्वास की बात करना और उसपर काम करना भी हैरत वाली बात है। पश्चिम बंगाल में भी शुभेन्दु अधिकारी ने भी सबका साथ-सबका विश्वास पर बयान देकर लोगों को हैरत में डाल दिया है वहीं बाबा ने तो भगवा रंग को उपयोगी बनाने के लिए सावन महीने में दुकानदारों को अपना नाम बताने की फरमान ने भगवाधारियों को जहां मनोबल बढ़ा दिया और बाबा की इस पहल को प्रमुखता देते हुए उत्तराखंड एवं मध्यप्रदेश में भी मुख्यमंत्रियों ने इस फरमान को जारी तो किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। भले ही **दुकान का नाम** की राजनीति में किसका भला होगा लेकिन हिन्दुओं को यह तो आगाह कर दिया है की वक्त रहते सुधर जाओं नहीं तो फिर बाबा रहे या नहीं रहें सत्ता में तो फिर मजबूती से भगवा को देखने वाला नहीं बचेगा। बाबा ने तो यह साफ कर दिया है कि मुगल की आंतक को अपने रहते हुए मिटा देना चाहते हैं तथा राजनीति में अपना वजूद को बरकरार रखना चाहते हैं। विपक्ष डर की वजह से बाबा से कांपता है तो पक्ष बाबा की बढ़ती हिन्दूवादी लोकप्रियता से। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को मिली करारी हार का ठिकरा बाबा पर फोड़ा जा रहा है और केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर राजनीति की जा रही है ताकि विपक्ष भी प्रदेश में बबाल काट सकें। बाबा का बुलडोजर के कायल सभी हैं और बाबा पर बुलडोजर चलाने का खामियाजा बड़े स्तर पर भुगतना पड़ सकता है। बाबा तो बाबा जब आरएसएस से बड़ा हो गया भाजपा का बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष देने लगे तो यह साफ है कि बाबा का पावर बैंक बड़ा होता जा रहा है। विचारों पर जब कुर्सी हावि होने लगती है कि अपने सहयोगी भी दुश्मन नजर आने लगते हैं लेकिन अपनी राजनीति पर मंथन करने के बेजाय हार का ठिकरा बाबा पर फोड़ना शीर्ष के नेताओं की छवि को धूमिल करने के लिए काफी है। बैशाखी पर चलने वाली सरकार और उसके प्रधान क तेवर कैसे बदल जाते हैं यह देखा जा सकता है आखिर इसका कारण क्या था? क्या वजह बना? कैसे बना? कब बना? इन विषयों पर मंथन करने के बाजाय बाबा को बलि का बकरा बनाने की कूटनीति की जा रही है लेकिन देश की वह जनता जो भगवा और बाबा में विश्वास करती है उनको ज्ञात है कि विपक्ष की तरह सत्ता पक्ष भी क्योंकि षडयंत्र की राजनीति कर रही है।

जुलाई 2024

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

हमारा पता है :-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
द्वारा:- ब्रजेश मिश्र
पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल
kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

पर्वत पुरूष

संपादक जी,

केवल सच पत्रिका का जुलाई अंक 2024 में प्रेम एवं श्रम पर आवरण कथा ''**महानायक दशरथ माँझी**'' में अमित कुमार ने एक श्रमिक की प्रेम कथा को बहुत ही सलीके से पाठकों के समझ रखा है। एक मजदूर ने अपनी पत्नी वियोग में पहाड़ काटकर सार्वजनिक रास्ता बना दिया जिसकी वजह से दशरथ माँझी की पहचान पर्वत पुरूष के रूप में हुई। खबर वास्तव में संग्रह करने योग्य है और सभी पहलुओं को बारीकी के साथ लिखा गया है। यह अंक वास्तव में पठनीय एवं जानकारीप्रद है।

✦ **दिवाकर सिंह, रमना रोड, गया, बिहार**

बिहार

ब्रजेश जी,

जुलाई 2024 अंक का संपादकीय ''**मजदूरों का कारखाना बन गया बिहार**'' में आपने वर्त्तमान बिहार की सच्चाई को उजागर करने का स्वागत योग्य काम किया है। इस अंक का आपका संपादकीय सही मायने में राज्य सरकार को आईना दिखाने का काम किया है कि किस प्रकार बिहार में मजदूर पलायन होने के लिए मजबूर है तथा कोरोना के काल में किस प्रकार बिहारी मजदूरों को यातनाएं झेलनी पड़ी थी, उसको रखकर इस आलेख को सोचने पर विवश कर दिया है। सटीक आलेख।

✦ **प्रेम यादव, घंटा घर, भागलपुर**

एक पर एक खबर

मिश्रा जी,

''धर्मनिरपेक्ष भारत को यूसीसी से नहीं शरिया से चलाने की जिद्द'' खबर में पत्रकार संजय सक्सेना ने बुहत ही धारदार खबर पाठकों के बीच रखा है। जुलाई 2024अंक में केवल सच पत्रिका ने पूर्ण बेबाकी के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू होने के बाद आम जनता को कैसे सहूलियत मिलेगी और यह कानून कितना उपयोगी सिद्ध होगा उसपर यूसीसी को नहीं मानने वाले शरिया का हवाला देकर देश के भीतर अलग माहौल बनाना चाहते हैं। समान नागरिक संहिता बहुत जरूरी है देश के लिए लेकिन राजनीति से इसको देखा जा रहा है। खबर पढ़ने योग्य है।

✦ **कौषल राय, अस्सी घाट, बनारस, यूपी**

कानून

मिश्रा जी,

मैं नियमित रूप से केवल सच, पत्रिका का पाठक हूं और प्रत्येक माह का अंक को अवश्य करके पढ़ता हूं। जुलाई 2024 अंक में शिवानंद गिरी की खबर ''बदल गया देश का कानून'' में केन्द्र सरकार के प्रयास पर सटीक व्याख्या के साथ खबर लिखा गया है कि 2023 का कानून किस प्रकार देशवासियों को न्याय पाने में कारगर सिद्ध हो सकता है। अंग्रेजों के द्वारा कानून को हटाकर आम जनता को कैसे त्वरित एवं ठोस न्याय मिले उसके लिए यह कानून बहुत जरूरी था। लेखक ने सही खबर को पाठकों के बीच रखकर जानकारी प्रदान की है।

✦ **शंकर चौरसिया, सरोजनी नगर, नई दिल्ली**

लौंगी माँझी

संपादक जी,

पर्वत पुरूष के रूप में पहचान रखने वाले दशरथ माँझी की तरह नहर पुरूष के रूप में पहचान बनाने वाले लौंगी माँझी की खबर पढ़कर मन संतुष्ट हुआ कि देश के भीतर कर्मठ लोगों की कोई कमी नहीं है। वास्तव में यह खबर भी पाठकों को बहुत सारी जानकारी देता है। बिहार के गया जिले में इन दोनों माँझी ने सच में वह कर दिखाया है जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। 30 साल तक अकेले नहर खोदना वास्तव में बड़ा काम है जिसको लौंगी माँझी ने पुरा कर दिया है। दोनों माँझी को पत्रिका में उचित स्थान मिला है। ऐसी हीं खबर दें।

✦ **मोहन सहाय, बाबू बाजार, कोलकात्ता**

गुजारा भत्ता

संपादक जी,

जुलाई 2024 अंक में पत्रकार संजय सक्सेना की खबर '' **गुजारा भत्ता- 40 साल बाद 'पलटा' गया एक फसला**'' में मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी गुजारा भत्ता पाने के लिए पति क खिलाफ सीआरसीपी की धारा 125 के तहत केस कर सकती है। शाहबानो का मामला राजनीति से भी जोड़कर देखा जाता है और दोनों पक्ष एवं विपक्ष के बीच तनाव का वातावरण रहता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। पूरे मामले को दोनों जजों ने गंभीरता पूर्वक लेते हुए फैसला लिया है। सही खबर।

✦ **मो शमशाद आलम, कांटाटोली चौक, राँची**

अन्दर के पन्नों में

विश्व आदिवासी दिवस.....82

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 19, | अंक:- 219, | माह:- अगस्त 2024, | मूल्य:- 20/- रू

फाउंडर

श्रद्धेय गोपाल मिश्र

श्रद्धेय सुषमा मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका 7782053204

सुरजीत तिवारी 9431222619

निलेन्दु कुमार झा 9431810505, 8210878854

सच्चिदानन्द मिश्र 9934899917

रामानंद राय 9905250798

डॉ० शशि कुमार 9507773579

दिनेश कुमार सिंह 9470829615,

सोहन कुमार 7004120150, 9334714978

मुकेश कुमार साव 9709779465

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350

अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

उप-संपादक

अरबिन्द मिश्रा 9934227532, 8603069137

प्रसुन्न पुष्कर 9430826922, 7004808186

ब्रजेश सहाय 7488696914

ललन कुमार 7979909054, 9334813587

पंकज कुमार सिंह 9693850669 , 9430605967

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565

काशीनाथ गिरी 9905048751, 9431644829

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

नवेन्दु कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994

कामोद कुमार कंचन 8971844318,

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

बिनय भूषण झा 9473035808, 8229070426.

.

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485

रवि कुमार पाण्डेय 9507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

सैयद मो० अकील 9905101976, 8521711976

आनन्द प्रकाश 9508451204, 8409462970

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०)	:-	श्रीधर पाण्डेय	9470709185
(म०)	:-	गौरव कुमार	9472400626
(ग्रा०)	:-	मुकेश कुमार	7004761573
बाढ़	:-		
भोजपुर	:-	गुड्डू कुमार सिंह	8789291547
बक्सर	:-	बिन्ध्याचल सिंह	8935909034
कैमूर	:-		
रोहतास	:-	अशोक कुमार सिंह	7739706506
	:-		
गया (श०)	:-	सुमित कुमार मिश्र	7667482916
(ग्रा०)	:-		
औरंगाबाद	:-		
जहानाबाद	:-	नवीन कुमार रौशन	9934039939
अरवल	:-	संतोष कुमार मिश्रा	9934248543
नालन्दा	:-		
	:-		
नवादा	:-	अमित कुमार	9934706928
	:-		
मुंगेर	:-		
लखीसराय	:-		
शेखपुरा	:-		
बेगूसराय	:-		
	:-		
खगड़िया	:-		
समस्तीपुर	:-		
जमुई	:-	अजय कुमार	09430030594
वैशाली	:-		
	:-		
छपरा	:-		
सिवान	:-		
	:-		
गोपालगंज	:-		
	:-		
मुजफ्फरपुर	:-	.	
	:-		
सीतामढ़ी	:-		
शिवहर	:-		
बेतिया	:-	रवि रंजन मिश्रा	9801447649
बगहा	:-		
मोतिहारी	:-	संजीव रंजन तिवारी	9430915909
दरभंगा	:-		
	:-		
मधुबनी	:-		
	:-	प्रशांत कुमार गुप्ता	6299028442
सहरसा	:-		
मधेपुरा	:-		
सुपौल	:-		
किशनगंज	:-		
	:-		
अररिया	:-	अब्दुल कय्यूम	9934276870
पूर्णिया	:-		
कटिहार	:-		
भागलपुर,	:-		
(ग्रा०)	:-	रवि पाण्डेय	7033040570
नवगछिया	:-		

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव,
द्वितीय तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ .e-mail:- kewalsach@gmail.com, e ditor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☞ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☞ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ **सभी पद अवैतनिक हैं।**

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

प्रधान संपादक

.....

.....

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

.....

झारखण्ड सहायक संपादक

चन्द्र शेखर पाठक 9572529337
ब्रजेश मिश्र 7654122344 -7979769647
अभिजीत दीप 7004274675 -9430192929

उप संपादक

.....

.....

संयुक्त संपादक

अनंत मोहन यादव 9546624444, 7909076894

.....

विशेष प्रतिनिधि

भारती मिश्रा 8210023343, 8863893672

.....

.....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची :- अभिषेक मिश्र 7903856569
:- ओम प्रकाश 9708005900
साहेबगंज :-
खूँटी :-
जमशेदपुर :- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता 9304824724
हजारीबाग :-
जामताड़ा :-
दुमका :-
देवघर :-
धनबाद :-
बोकारो :-
रामगढ़ :-
चाईबासा :-
कोडरमा :-
गिरीडीह :-
चतरा :- धीरज कुमार 9939149331
लातेहार :-
गोड्डा :-
गुमला :-
पलामू :-
गढ़वा :-
पाकुड़ :-
सरायकेला :-
सिमडेगा :-
लोहरदगा :-

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,

लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

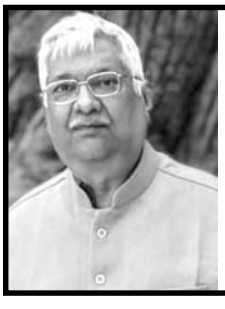

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क

भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी

'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि	
आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सुमित राज यादव	9472110940, 8987123161
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
राजीव नयन	9973120511, 9430255401
मणिभूषण तिवारी	9693498852
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
विनित कुमार	8210591866, 8969722700
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
कुमार राजू	9310173983,
रजनीश कांत झा	9430962922, 7488204140

छायाकार	
त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670,
कृष्णा प्रसाद	9608084774, 9835829947

झारखंड राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
राँची		
हजारीबाग		
पलामू		
दुमका		
चाईबासा		

जन संवाद कार्यक्रम से पीके ने भरी हुंकार

● **अमित कुमार**

पिछले 21 महीनों से चल रहे जन सुराज अभियान को 2 अक्टूबर को राजनीतिक दल बनाया जाना है। इसमें युवाओं की भूमिका और उनकी हिस्सेदारी पर चर्चा के लिए जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ 4 अगस्त को एक बैठक का आयोजन किया गया। बता दे कि गांधी जयंती के मौके पर प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान की पूर्णाहूति होने जा रही है। 2 अक्टूबर को ही वो अपने जन सुराज अभियान को राजनीतिक दल का रूप देंगे, कुछ दिनों से ये बातें वो खुद ही बताते आ रहे हैं। दो साल से बिहार के गांव गांव घूम रहे प्रशांत किशोर हाल फिलहाल पटना में भी काफी समय दे रहे हैं। इसी बीच पीके का एक और सम्मेलन काफी चर्चा में हैं-बिहार युवा संवाद। इस कार्यक्रम में पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा समेत डॉ. संजय पासवान, जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुत्री डॉ. जागृति, विधान पार्षद अफाक अहमद भी उपस्थित थे। बता दें कि पटना के बापू सभागार में पीके जब स्टेज पर पहुंचते हैं तो सब लोग जोर-जोर से जय बिहार के नारे लगाते हैं। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ नजर आता है। वैसे हाल की क्षमता 5 हजार की है और कुछ लोग पीछे खड़े भी हैं इसलिए थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं। पीके का ये खास इवेंट करीब-करीब वैसा ही था जैसा बीते दिनों उनके क्लाइंट का हुआ करता था। प्रशांत किशोर अब तक जिन नेताओं के लिए चुनाव कैंपेन की निगरानी करते आये हैं, ऐसे बहुत सारे इवेंट देखने को मिले हैं। ज्ञात हो कि ऐसे ही कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के लिए आयोजित इवेंट भी शामिल रहे हैं। वही पटना के बापू सभागार में युवा संवाद के जरिये प्रशांत किशोर लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, जन सुराज यहां के युवाओं की जिद है, जन सुराज हम लोगों का संकल्प भी है और जन सुराज एक व्यवस्था भी है, तो सवाल उठता है कि जन सुराज कैसी व्यवस्था है? पीके बताते हैं, जन सुराज एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें गरीब से गरीब घर का व्यक्ति यहां आकर समाज के लिए, बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, समाज और राजनीति में सुधार के लिए और अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए कुछ करना चाहता है।

सनद् रहे कि प्रशांत किशोर ने बिहार के अलग-अलग जिलों से आए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जन सुराज बिहार के युवाओं की जिद है। जन सुराज उन युवाओं की जिद हैं जो बिहार में बदलाव चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज हम सब का संकल्प है। मैं आज आप सब को बताने आया हूं कि जन सुराज व्यवस्था भी है, जिसके तहत गरीब से गरीब का बच्चा भी अगर चुनाव लड़ना चाहे तो उन्हें कोई दिक्कत न हो। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बिहार का ऐसा युवा जो बिहार

में रह रहे समाज के लिए कुछ करना चाहता है, उसे हर तरीके का संसाधन जन सुराज मुहैया कराएगा। आपको पैसे की चिंता नहीं करनी है, जाति की चिंता नहीं करनी है, चुनाव जीतने और हारने की चिंता नहीं करनी है, वो चिंता जन सुराज और अपने बेटे-भाई प्रशांत किशोर पर छोड़िये और बिहार को सुधारने के लिए खड़ा हो जाइये। बैठक में मौजूद युवाओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शैक्षणिक योग्यता को जन सुराज में नेतृत्व करने का आधार बनाया जाना चाहिए। इस पर पीके ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार के युवा 10वीं फेल लोगों के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते हैं। पीके की गारंटी में और भी बहुत कुछ है जिसे वो खुद बताते हैं। 2025 में बिहार से पलायन खत्म होगा। कहते हैं, अपने बच्चों से आप लोग कह दीजिये कि 2025 में जब छठ पर बिहार आएंगे, तो फिर वापस नहीं जाना होगा, लेकिन आप लोगों को भी एक काम करना होगा। हम तो पैदल चल ही रहे हैं लेकिन आप लोग भले ही आधी प्लेट खाना खाइए, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। क्योंकि अगर आपका बच्चा अनपढ़ होगा, तो चाहे लालू हों या नीतीश उसे कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बना पाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के युवाओं में बेरोजगारी है और नौकरियां दूसरे प्रदेशों के लोग ले जा रहे हैं। बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाना चाहिए ताकि बेरोजगारी का दंश झेल रहे बिहारी युवाओं को रोजगार मिल सके और पलायन कम हो। उन्होने कहा कि बिहार के लोग रोजी-रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन करने को मजबूर हैं। यहां मौजूदा सरकार दूसरे प्रदेशों के लोगों को नौकरी दे रही है। अब युवा शक्ति जन सुराज के माध्यम से बिहार को सुधारने की जिद्द पर अड़ गई है। युवाओं को आह्वान करते हुए उन्होने कहा कि जब-जब युवा शक्ति ने अंगड़ाई ली है, बदलाव आया है। उन्होंने युवाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की और कहा कि आपके बीच से ही लोग मुखिया, जिला परिषद, विधायक आदि बनेंगे। इस भीड़ में बैठे युवाओं में से बहुतेरे विधानसभा के लिए चुन कर आयेंगे विश्वास रखिए।

गौरतलब है कि चुनावी रणनीतिकार से फुल टाइम पॉलिटिशियन बने प्रशांत किशोर ने जन जागरूकता के लिए बिहार में करीब दो साल तक 'जन सुराज' पदयात्रा करने के बाद अब राजनीतिक दल लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। वह इस साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अपनी 'जन सुराज पार्टी' की शुरुआत करेंगे और 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 243 सीटों पर ताल ठोकेंगे। भारत में राजनीतिक पार्टियों का बनना और बिखरना बहुत बड़ी बात नहीं है। हर चुनाव से पहले कई दल बनते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का राजनीति में आना और पॉलिटिकल पार्टी शुरू करना बस यूं ही नहीं है। वह अपना हर कदम काफी सोच-समझकर रख रहे हैं। प्रशांत किशोर की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में समाजसेवी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की झलक मिलती है। अन्ना कभी राजनीति में नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने जीवनकाल में कई जन आंदोलनों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। साल 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना ने एक ऐसे ही आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल उनके शागिर्द की भूमिका में थे। 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' नाम के इस जन आंदोलन से देश की जनता के मन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सेंटिमेंट बना। अरविंद केजरीवाल ने मौके

को भांपते हुए आम आदमी पार्टी लॉन्च की और तभी से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बिहार में प्रशांत किशोर ने भी राजनीतिक पार्टी शुरू करने से पहले करीब दो वर्षों तक 'जन सुराज' अभियान के जरिए जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश की। उन्होंने जनता के बीच भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दे उठाए। बिहार के पिछड़ेपन और बदहाली के लिए जदयू, बीजेपी, राजद, कांग्रेस जैसी स्थापित पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। पीके ने जाति, धर्म, अगड़ा, पिछड़ा में बंटे समाज को बिहारी अस्मिता के मुद्दे पर एकजुट करने की कोशिश की। युवाओं को उज्ज्वल भविष्य के सपने दिखाए और फिर जब उन्हें लगा कि 'जन सुराज' अभियान ने लोगों के बीच एक स्थापित पार्टियों के अलावा एक बेहतर विकल्प की चर्चा छेड़ दी है, तो उन्होंने अपना राजनीतिक दल शुरू करने और सक्रिय राजनीति में उतरने का फैसला किया। अब चुनाव लड़ना है तो संगठन भी होना चाहिए। इसके लिए प्रशांत किशोर ने अरविंद केजरीवाल का तरीका अपनाया है। आम आदमी पार्टी शुरू करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया था। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईटी प्रोफेशनल, एकेडमिशियन, सिविल सर्वेंट से लेकर श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि, ऑटो-टैक्सी, ट्रांसपोर्ट और किसान यूनियन के नेता तक शामिल थे। केजरीवाल ने बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स को भी वॉलंटियर के रूप में अपनी पार्टी से जोड़ा था। प्रशांत किशोर भी यही तरीका अपना रहे हैं। उन्होंने समाज के हर क्षेत्र के लोगों से 'जन सुराज पार्टी' के साथ जुड़ने की अपील की है। बहरहाल, अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आये थे, तब तक लोगों को उन पर बहुत भरोसा हो चुका था। प्रशांत किशोर के मामले में अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता। पीके के बारे में लोग मानते हैं कि वो पैसे लेकर नेताओं का काम करते हैं और काम के लिए बहुत पैसा लेते हैं। चुनाव कैंपेन करके बहुत कमाई की है। पीके को कितने पैसे मिले या कहां से मिले, लोगों के मन में हमेशा ये सवाल रहता है और मान कर चलना चाहिये कि चुनावों में ये सवाल जरूर पूछा जाएगा और पीके को जवाब भी देने होंगे। एक बार प्रशांत किशोर ने कहा था, जब वो जेडीयू के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, अगर मैं सीएम और पीएम बनने में मदद कर सकता हूं, तो बिहार में युवाओं को मुखिया और एमएलए, एमपी भी बना सकता हूं। उनके बयान के बाद जेडीयू के नेता उन पर टूट पड़े थे, लेकिन वो गलत क्या बोल रहे थे।

बहरहाल, धीरे-धीरे ही सही लेकिन अब बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की चर्चा होने लगी है। पीके की योजना के मुताबिक करीब एक करोड़ सदस्य 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर जन सुराज पार्टी की नींव रखेंगे। पहले दिन 1.50 लाख पदाधिकारी नामित करने के साथ दल की शुरुआत होगी। बता दें कि पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के युवाओं के बीच प्रशांत किशोर की बढ़ती लोकप्रियता की झलक मिली। बिहार के लगभग हर हिस्से से युवा पीके के कार्यक्रम में पहुंचे थे। प्रशांत किशोर ने पटना के बापू सभागार से ऐलान किया कि अगली बार बिहार विधानसभा जन सुराजियों से भरा होगा।

उन्होंने ऐलान किया कि बिहार का जो भी काबिल युवा राजनीति में आना चाहता है, उसे जन सुराज पार्टी चुनाव लड़ाएगी। पीके ने बिहार से पलायन रोकने, बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने और राज्य में निवेश लाने का वादा किया। ज्ञात हो कि केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी लॉन्च करने के बाद भाजपा और कांग्रेस की परंपरागत राजनीति पर हमला बोला था। उन्होंने जनता को आम आदमी पार्टी के रूप में एक बेहतर राजनीतिक विकल्प देने का वादा किया था। प्रशांत किशोर ठीक वही तरीका अपनाते हुए जन सुराज पार्टी को बिहार में बीजेपी, राजद के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। पटना के बापू सभागार में अपने संबोधन में पीके ने कहा कि अब लालू, नीतीश और भाजपा के 30 साल के शासन से बिहार को मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के युवा 10वीं फेल लोगों के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते। जन सुराज पार्टी बिहार को नीतीश कुमार और लालू राज से छुटकारा दिलाएगी। पीके ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के 20 वर्ष और लालू यादव के 15 वर्ष बिहार की बर्बादी के लिए याद किए जाएंगे। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल भी ठीक इसी तरह बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य क्षेत्रीय दलों के बड़े नेताओं पर निशाना साधा करते थे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वह जन सुराज पार्टी में कोई पद नहीं लेंगे। उन्होंने कहा है कि अगले दो महीनों में 1.5 लाख जन सुराज पदाधिकारी और पार्टी के संस्थापक सदस्य मिलकर विचार-विमर्श करेंगे और पार्टी की प्रमुख प्राथमिकताओं पर निर्णय लेंगे। पार्टी के संविधान को अंतिम रूप दिया जाएगा और अंत में नेता चुना जाएगा।

जनसुराज यात्रा के दौरान पूरे बिहार ने अपना संगठन खड़ा करने के बाद प्रशांत किशोर ने जन सुराज के पदाधिकारियों से कह रहे थे, आप सभी हमसे मिलने नहीं आए हैं, क्योंकि हम आपसे आपने गांवों में आपके घर पर मिले थे। प्रशांत किशोर के मुताबिक, करीब एक करोड़ सदस्य 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर जन सुराज की नींव रखेंगे। पहले दिन 1.50 लाख लोगों को पदाधिकारी नामित करने के साथ शुरुआत होगी। जनसुराज के अध्यक्ष का कार्यकाल एक साल का होगा और पांच साल की अवधि में अलग अलग तबके से 5 अध्यक्ष चुने जाएंगे, जिनमें पहला अध्यक्ष दलित समाज से होगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रशांत किशोर ने नेतृत्व की दौड़ से खुद को अलग कर लिया है। अध्यक्ष पद का दावा वे लोग ही कर सकते हैं, जो पार्टी में 5000 लोगों को लाने में सक्षम हैं। जन सुराज की 7 सदस्यों वाली अधिकार प्राप्त समिति इस पर अंतिम फैसला लेगी। प्रशांत किशोर का कहना है कि समाज में 5 समूह हैं सामान्य, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम। दलित समुदाय सबसे अधिक वंचित हैं, इसलिए जन सुराज का पहला अध्यक्ष दलित वर्ग से ही आएगा। वही पीके का कहना है जन सुराज की अगुवाई वो नहीं करेंगे, बल्कि नेता अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाएंगे, जो राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए लोगों की ताकत को मजबूत करेंगे। व्यावहारिक तौर पर ये ठीक भी है। एक बात तो तय है पीके के लिए खुद मुख्यमंत्री बनना मुश्किल होगा। पीके को पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना होगा। चुनाव लड़ना और लड़ाना काफी अलग होता है। अभी तक पीके नेताओं के नाम पर सफल होते आये हैं। हो सकता है बिहार में हालात वैसे ही हों, जैसी परिस्थितियों में पीके अपने क्लाइंट को चुनाव जिताते रहे हैं, लेकिन चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर बीजेपी और कांग्रेस ऐसा करते हैं तो

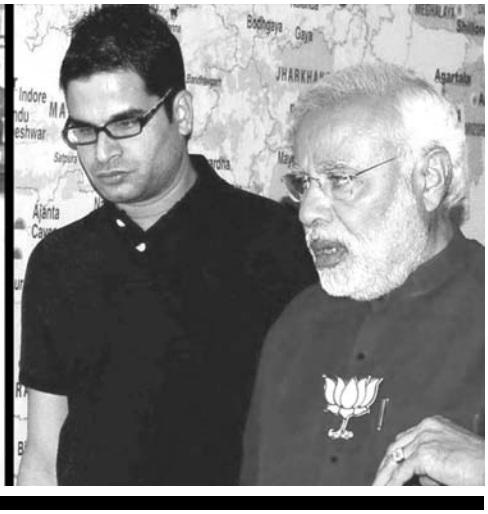

भी लोगों के सामने मोदी या राहुल गांधी का चेहरा होता है या फिर उनके स्थानीय नेता भी मोर्चे पर दिखाई देते हैं और लोगों को लगता है, उनमें से ही कोई होगा। वही कार्यकर्ताओं से प्रशांत किशोर कहते हैं, आपने खुद को उन लोगों के साथ जोड़ लिया है जो बिहार के लिए बेहतर विकल्प के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन विकल्प के अभाव में वे एक साथ आ गये हैं। ये ठीक है कि अरविंद केजरीवाल ने जेपी की तरह जेल भरो आंदोलन नहीं चलाया और न ही इमरजेंसी जैसे हालात का सामना किया, लेकिन राजनीति में एंट्री से पहले सड़क पर आंदोलन तो खूब किये थे। प्रशांत किशोर दो साल से यात्रा कर रहे हैं। लोगों के बीच बने हुए हैं। उनको वस्तुस्थिति से अवगत करा रहे हैं। समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व उनको बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है। प्रशांत किशोर के भाषणों में ज्यादा जोर नीतीश कुमार के उम्रदराज होने, कांग्रेस के

किसी काम का न होने और तेजस्वी यादव के नौवीं फेल होने जैसे बातें सुनने को मिलती हैं। लोगों को ये सब सुनना अच्छा लगता है, लेकिन वोट देने का ये आधार नहीं बनता। हां, प्रशांत किशोर ने बदलाव की बात की है लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरह अब तक सपनों जैसी कोई उम्मीद नहीं जगाई है।

गौरतलब है कि दिल्ली में भी पूर्वांचल के लोग हैं, लेकिन देश भर से आये अलग-अलग तरीके के लोग रहते हैं। बिहार में जातिवाद की जड़ें गहराई तक जुड़ी हैं। वहां जाति के आधार पर ही राजनीतिक समीकरण बने हुए हैं और धर्म का भी प्रभाव है। अब तक बिहार में लालू यादव के एम-वाई समीकरण और नीतीश कुमार के लव-कुश समीकरण का बोलबाला रहा है। प्रशांत किशोर के लिए ब्राह्मण होकर लालू यादव और नीतीश कुमार के किले को भेद पाना मुश्किल है। लालू की जगह अब तेजस्वी मैदान में उतर चुके हैं और नीतीश के कंधे के सहारे बीजेपी पैर जमाने की कोशिश कर रही है। ये तो नहीं कह सकते कि अरविंद केजरीवाल के आने से दिल्ली में कुछ भी नहीं बदला, लेकिन ये भी सच है कि जो सपने दिखाये थे, जो अपेक्षाएं थीं, जो उम्मीदें थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने भी परंपरागत राजनीति की राह पकड़ ली और नतीजा सामने है। जरूरी नहीं कि प्रशांत किशोर भी अरविंद केजरीवाल की तरह निराश करें, इसलिए जरूरी हो जाता है कि प्रशांत किशोर को भी मौका मिलने से पहले ही खारिज नहीं करना चाहिये। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पुष्पम प्रिया भी मिसाल हैं और मणिपुर की आयरन लेडी कही जाने वाली इरोम शर्मिला भी आपको याद होंगी ही। निश्चित तौर पर आगे बढ़ने से पहले प्रशांत किशोर को भी उनके अनुभवों से सीखने की कोशिश करनी चाहिये। पीके का आइडिया अच्छा है, लेकिन लोगों को समझ में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। हम अपने और अपने बच्चों के लिए एक ऐसे सिस्टम तैयार करेंगे, जिससे लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ऐसा इसलिए, क्योंकि जिन्हें पहले 'बिहारी' कहकर अपमानित किया जाता था, वे ही शानदार सिस्टम को तैयार कर सकते थे। प्रशांत किशोर ने कहा था, 'मैं लिखित में दे देता हूं कि 2025 के चुनावों में जनसुराज अपने दम पर जीत कर आएगा और अगर न आये तब भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा'। प्रशांत किशोर जो भी दावा करें, ये काम तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं कर पाये थे। अरविंद केजरीवाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चुनाव में हरा जरूर

दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल कर पाई थी। बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर थी और तीसरे नंबर पर आई कांग्रेस के साथ पहली बार सरकार बनाई थी।

बहरहाल, प्रशांत किशोर अब प्रत्यक्ष राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। अभी तक वह परदे के पीछे से काम कर रहे थे। चेहरा कोई और होता था, तैयारियां और जरूरी इंतजामात वो खुद करते थे। कभी 'बिहार में बहार है, नीतीशे कुमार हैं' का नारा देने वाले प्रशांत किशोर की मानें तो अब सब कुछ वो खुद ही करेंगे, लेकिन चेहरा नहीं बनेंगे। चेहरा अब भी कोई और होगा और सिर्फ एक ही चेहरा नहीं होगा, बल्कि चेहरे बदलते रहेंगे। 10 साल पहले देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार के तौर पर सामने आये प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 को बिहार में जन सुराज यात्रा पर निकले थे और ठीक दो साल बाद 2 अक्टूबर को ही वो जन सुराज के नाम से राजनीतिक दल के रूप में लॉन्च करने जा रहे हैं। जन सुराज के संस्थापक के रूप में

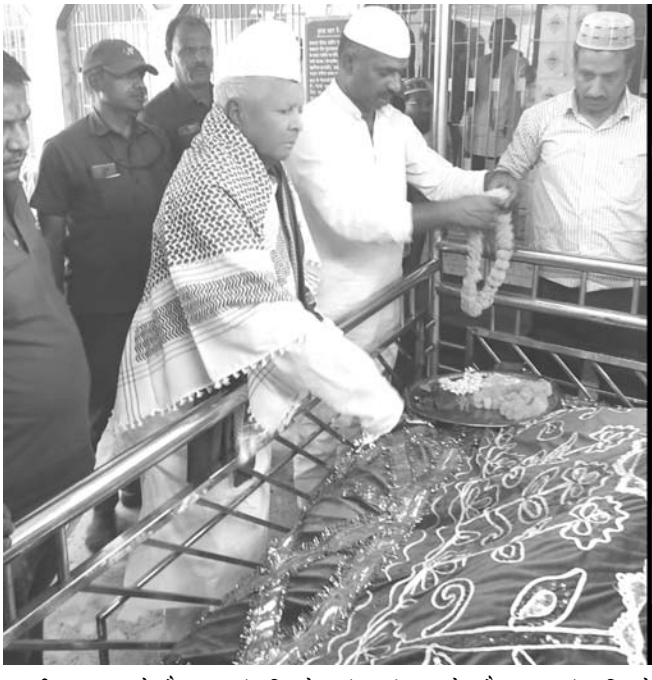

अपनी पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर गांव-गांव पहुंचकर, बिहार के लोगों से मिलकर लगातार युवाओं के पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ स्थानीय मुद्दे भी उठा रहे हैं और इस दौरान अक्सर ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता लालू यादव का परिवार खासकर तेजस्वी यादव उनके निशाने पर देखे गये हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से समझें तो बीजेपी और नीतीश मिलकर तेजस्वी यादव से कोई बेहतर स्थिति में नहीं लगते और बीजेपी की तरफ से भी साफ किया जा चुका है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता होंगे। ये तो समझ में आता है कि तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मुकाबले में आगे वही नजर आते हैं, लेकिन नये चेहरों के बलबूते वो कहां तक चैलेंज कर पाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर हो सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव से लोग खफा हों, ऐसा तो कोई कारण नहीं लगता। वही प्रशांत किशोर के पूरे कैंपेन को देखें तो उनके टारगेट पर पहले नंबर पर तेजस्वी यादव ही रहे हैं, नीतीश कुमार का नंबर उनके बाद ही आता है। एक बात नहीं समझ में आती कि अगर उनको खुद सत्ता में आना है तो जिन्हें वो अपने राजनीतिक विरोधियों के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, बराबर भाव क्यों नहीं रखते जैसे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रशांत किशोर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के मुकाबले बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आये थे। जन सुराज अभियान के दौरान भी उनकी आलोचना के आखिरी पायदान पर भी बीजेपी ही देखने को मिली है और तब भी, जब वो 2025 में जन सुराज की सरकार बनना पक्का बता रहे हैं। महसूस तो ऐसा होता है जैसे बीजेपी से उनको कोई खास शिकायत

ही न हो। लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से भी देखें तो तेजस्वी यादव के मुकाबले नीतीश कुमार का प्रदर्शन बेहतर रहा है। 2020 के बिहार चुनाव में जेडीयू को करीब-करीब ठिकाने लगा देने वाली बीजेपी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार को बैसाखी बनाना पड़ा है, फिर भी प्रशांत किशोर के निशाने पर पहले नंबर पर तेजस्वी यादव को देखकर बहुत अजीब लगता है। खैर, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव 17 अगस्त से बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन पहले से ही सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुटे हुए हैं।

लोकसभा चुनाव से पहले भी तेजस्वी यादव बिहार यात्रा किये थे। तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा को लेकर प्रशांत किशोर का कहना है, मेरे और उनके पदयात्रा के उद्देश्य में फर्क है। मैं पिछले 18 महीने से पदयात्रा ही कर रहा हूं। बाकियों की तरह एक दिन रैली और दूसरे दिन वोट नहीं मांग रहा और न ही तीसरे दिन चुनाव लड़ने की योजना बना रहा हूं। प्रशांत किशोर ये नहीं कह रहे हैं कि हमको जिताकर मुख्यमंत्री बना दीजिये। प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा इसलिए चला रहे हैं ताकि बिहार की जनता के अंदर जागरूकता फैले। जब हम सभा कराते हैं तो लोग कहते हैं, डिग्री क्वालीफिकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिये और सभा खत्म होते ही कहते हैं नहीं होना चाहिए। अब आपने कहा पढ़ाई का क्राइटेरिया होना चाहिये, क्योंकि बिहार के लोग दसवीं फेल लोगों के नेतृत्व में काम करना नहीं चाहिये। कुछ सोचकर अपनी बात पर सफाई भी देते हैं, 'मैंने

दसवीं फेल कहा है, नौवीं फेल नहीं कहा है'। जाहिर है निशाने पर तेजस्वी यादव ही होते हैं। एक चीज जो पीके के लिए उम्मीद की किरण बनती है, वो है नीतीश और लालू की उम्र। लालू यादव तो बेटे तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं और सक्रिय राजनीति से लगभग बाहर हैं। रही नीतीश की बात, तो वह भी अपनी राजनीतिक पारी के अंतिम दौर में ही हैं। ऐसे में इन दो नेताओं के रिटायरमेंट के बाद बिहार की राजनीति में नेतृत्व का बड़ा खालीपन आएगा। तेजस्वी खुद को नेता के रूप में स्थापित कर चुके हैं, भाजपा बिहार में अब तक कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं दे पायी है। सुशील मोदी थे, लेकिन अब वह भी नहीं रहे। नीतीश का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसे लेकर जदयू में फिलहाल कोई योजना नहीं दिखती। ऐसे में प्रशांत किशोर खुद को तेजस्वी के मुकाबले दूसरे विकल्प के तौर पर स्थापित कर सकते हैं। हालांकि, इतनी जल्दी संभव नहीं है। उन्हें बिहार की राजनीति में खुद को एक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए कम से कम एक दशक देने पड़ेंगे।

अब सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर के लिए बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव का वर्चस्व तोड़ना इतना आसान होगा? पिछले चार दशक में बिहार की राजनीति के दो सबसे बड़े नाम हैं नीतीश कुमार और लालू यादव। दोनों ही जेपी मूवमेंट से निकले नेता हैं। इनके राजनीतिक कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1990 से लेकर 2024 तक के 34 वर्षों में अधिकतर समय तक बिहार की सत्ता में यही दोनों काबिज रहे हैं। 1990 से 2004 तक जहां बिहार में लालू यादव सत्ता के केंद्र में रहे, तो 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार के हाथों में राज्य की सत्ता है। बीच में कुछ वर्ष अपवाद भी रहे हैं, जब परिस्थिति वश राबड़ी देवी और जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। लालू यादव की पार्टी राजद और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के पास अपना-अपना वोट बैंक है। पारंपरिक रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित और मुस्लिम राजद के साथ रहे हैं और इसे निचली जातियों का राजनीतिक चैंपियन माना जाता है। यादव और मुस्लिम राजद का सबसे वफादार वोट बैंक माना जाता है। वहीं जदयू को अति पिछड़ों, महादलितों और कुछ हद तक अल्पसंख्यकों का समर्थन मिलता रहा है। कुर्मी और कोइरी (लव-कुश समीकरण) जदयू का सबसे वफादार वोट बैंक है। नीतीश कुमार खुद इसी समुदाय से आते हैं। अगर नंबर के हिसाब से देखें तो लालू और नीतीश दोनों के पास करीब 20 फीसदी फिक्स वोट बैंक है, जिसमें सेंध लगाना प्रशांत किशोर के लिए इतना आसान नहीं होगा। प्रशांत किशोर इस बात को जानते हैं, शायद इसीलिए वह अपनी सभाओं और संगोष्ठियों में जाति और धर्म की राजनीति की जगह बिहारी अस्मिता और विकास की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। वह जनता को बताने की कोशिश करते हैं कि नीतीश और लालू यादव अपने निश्चित वोट बैंक के कारण सत्ता के केंद्र में तो बने रहे हैं, लेकिन बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। पीके कहते हैं कि जब रोजगार के लिए बिहार के युवाओं को पलायन करना पड़ता है तो उसमें हर जाति और धर्म के लोग शामिल होते हैं। खराब स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था का खामियाजा सबको उठाना पड़ता है।

बहरहाल, प्रशांत किशोर खुद अगड़ी जाति से आते हैं और ब्राह्मण हैं। बिहार की राजनीति को देखते हुए यह फैक्टर भी उनके अनुकूल नहीं है। खासकर राजद उन्हें इसी मुद्दे पर काउंटर करती है और भाजपा की बी टीम बताती है। बता दें कि बिहार में भाजपा भी एक बड़ी राजनीतिक ताकत है और उसका वोट बेस अगड़ी जातियां हैं। प्रशांत किशोर मीडिया प्रबंधन और आईटी सेल प्रचार में नीतीश कुमार और लालू यादव से जरूर बेहतर हैं, लेकिन पीके को अगर बिहार में लालू-नीतीश के वर्चस्व को तोड़ना है तो उन्हें लोगों को जातिगत राजनीति में ऊपर उठने के लिए प्रेरित करना होगा। उनके लिए एक बात और फायदे की है कि वह किसी वोट बैंक या विचारधारा से नहीं बंधे हैं। उन्हें खुद को अब तक एक विकासवादी सोच वाले नेता के रूप में ही पेश किया है। उन्हें जीरो से शुरू करना है। ऐसे में उनके पास हर जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को खुद के साथ जोड़ने का मौका है। ●

संसद से सड़क तक न्यायालय के फैसले का विरोध!

मुद्दा आरक्षण का

● अमित कुमार

बिहार में आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने को लेकर नीतीश कुमार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था किन्तु आरक्षण को बढ़ाने के बिहार सरकार के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। दरअसल, बिहार में आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से 65 फीसदी बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। बिहार सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया गया था। बिहार सरकार के इसी फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे पटना हाईकोर्ट ने 20 जून को रद्द कर दिया था। बिहार सरकार के वकील मनीष सिंह के माध्यम से पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। नीतीश सरकार ने अपनी एसपीएल में कहा है कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसने पूरी आबादी की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर अपनी जातिगत सर्वेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक की है। ऐसा अभ्यास करने वाला बिहार एक एकमात्र राज्य है। राज्य ने इस माननीय न्यायालय के फैसलों का अनुपालन किया है और फिर आरक्षण अधिनियमों में संशोधन किया है। याचिका में यह भी कहा गया कि उच्च न्यायालय ने गलत कहा कि सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व किया गया है। 50 प्रतिशत की सीमा को तोड़ने के लिए खास परिस्थितियों और भौगोलिक परीक्षण नहीं है, बल्कि बिहार में किया गया है सामाजिक सर्वेक्षण हैं। वही उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों

इंद्रा साहनी

के आधार पर पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, राज्य के विवेक का हनन है, जैसा कि इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ मामले में इस माननीय न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है। किसी भी राज्य ने वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार पर इस तरह का संशोधन पारित नहीं किया है और बिहार इस तरह का सर्वेक्षण करने वाला एकमात्र राज्य है, क्योंकि इंद्रा साहनी ने मात्रात्मक डेटा के संग्रह और विश्लेषण के लिए कोई विशेष प्रक्रिया या पद्धति निर्धारित नहीं की। बिहार सरकार ने अंतरिम राहत की मांग करते हुए कहा कि यदि अंतरिम राहत नहीं दी गई तो इससे बिहार राज्य में चयन और भर्ती प्रक्रिया बाधित होगी और ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, जहां उसके पास प्रशासन चलाने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं होगी। यह अधिनियम नवंबर, 2023 से लागू था और बड़ी संख्या में भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिनमें से कुछ अग्रिम चरण में हैं। फिलहाल देश में 49.5% आरक्षण है। ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से आरक्षण की सीमा 50 फीसदी के पार जा चुकी है। हालांकि, नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कोटा संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाता। बिहार में भी पहले आरक्षण की सीमा 50% ही थी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार को झटका देते हुए आरक्षण की सीमा बढ़ाने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

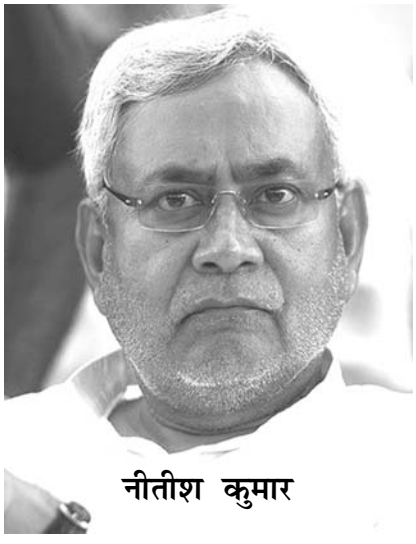
नीतीश कुमार

हाईकोर्ट ने आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षण 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने संबंधी बिहार सरकार के कानून को रद्द कर दिया गया था। दरअसल, बिहार सरकार 50 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 65 प्रतिशत करना चाहती थी,

श्याम दीवान

लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी। बाद में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। हालांकि प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की ओर से दायर 10 याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई। शीर्ष अदालत, जिसने याचिकाओं पर नोटिस भी जारी नहीं किया, अपील की इजाजत दे दी और कहा कि याचिकाओं पर सितंबर में सुनवाई की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने पीठ से उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। दीवान ने छत्तीसगढ़ के ऐसे ही एक मामले का जिक्र किया और कहा कि शीर्ष अदालत ने उस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम

SC refuses to stay HC ruling quashing 65% quota in Bihar

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Supreme Court on Monday refused to order interim stay of a Patna High Court decision quashing reservation up to 65% for the Backward Classes, the Extremely Backward Classes, the Scheduled Castes, and the Scheduled Tribes in public employment and institutions.

However, while refusing the interim relief, a three-judge Bench headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud agreed to hear the appeal filed by the State of Bihar against the High Court judgment in September.

Solicitor-General Tushar Mehta and senior advocate Shyam Divan, for Bihar, urged the court to stay the High Court decision which had set aside the amendments in the State reservation law.

High Court had said that stretching the quota from 50% to 65%, leaving only 35% for merit, was violative of the right to equal opportunity

"Lots of interviews going on the basis of impugned Act," Mr. Mehta urged. "We are not inclined to stay at this stage," Chief Justice Chandrachud replied.

'Violation of rights'

On June 20, the High Court had concluded that stretching quota from 50% to 65% in government jobs and educational institutions, leaving only 35%, for merit was violative of the right to equal opportunity for citizens.

The High Court had set aside the Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (for Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Amendment Act, 2023, and the Bihar (In admission in Educational Institutions) Reservation (Amendment) Act, 2023, as ultra vires the constitution and violative of equality clause under Articles 14, 15 and 16 of the Constitution.

The High Court ruling had come as a blow to the Nitish Kumar government.

पीके शाही

मामले को सूचीबद्ध करेंगे, लेकिन हम (उच्च न्यायालय के फैसले पर) कोई रोक नहीं लगाएंगे। उच्च न्यायालय ने 20 जून के अपने फैसले में कहा था कि पिछले साल नवंबर में बिहार की द्विसदनीय विधायिका द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए गए संशोधन संविधान में प्रदत्त 'अधिकार से परे', 'कानून की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण' और 'समानता के अधिकार का उल्लंघन' है। बता दें कि बिहार सरकार ने 9 नवंबर 2023 को एक कानून पारित किया था कि सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 65 फीसदी होगा। राज्य सरकार ने यह निर्णय पिछले साल हुई जातीय जनगणना के बाद लिया था। इसके तहत ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासियों को आरक्षण का फायदा मिलना था। बहरहाल, बिहार में 65 फीसदी आरक्षण का मामला अदालत से अटक जाने के बाद मौजूदा भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट पुराने कोटा के आधार पर ही जारी किया जाएगा। इस संबंध में नीतीश सरकार ने पटना हाई कोर्ट में जवाब दिया है। यानी कि बिहार में विभिन्न पदों पर बहाली के लिए परीक्षा आयोजित की जा चुकी है या की जा रही है, उनमें नियुक्ति पुराने 50 फीसदी आरक्षण कोटा के आधार पर ही होगा। यानी कि बढ़े हुए आरक्षण का लाभ फिलहाल अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाएगा। क्योंकि नीतीश सरकार द्वारा आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के फैसले पर पहले पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रोक को जारी रखा। अगली सुनवाई सितंबर में होगी। एडवोकेट जनरल पीके शाही ने पटना हाई कोर्ट में राज्यों के आईटीआई में उप प्राचार्य की नियुक्ति के लिए हुए एग्जाम का रिजल्ट पुराने आरक्षण कोटा के आधार पर ही जारी किया जाएगा। इस संबंध में दायर एक रिट याचिका पर अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। एडवोकेट जनरल के आश्वासन के बाद जस्टिस अंशुमन की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया। यह नियम नए आरक्षण नियम के आधार पर निकाले गए सभी भर्ती विज्ञापनों पर लागू होगा। हाल ही में शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया था कि बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा फेज 3 में भी 50 फीसदी आरक्षण फॉर्मूला के आधार पर ही नियुक्ति की जाएगी। पीके शाही ने एचटी से बातचीत में कहा कि हाई कोर्ट ने उनका जवाब स्वीकार कर लिया है। इसमें कहा गया है कि अभी तक जो भी एग्जाम आयोजित किए जाने हैं, वो अपने तय शेड्यूल के हिसाब से ही पूरे होंगे। हालांकि, उनका रिजल्ट मौजूदा आरक्षण नियमों के आधार पर जारी किया जाएगा, जो कि 50 फीसदी है। अगर सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के आरक्षण का दायरा बढ़ाने के फैसले को मान्यता देता है, तो

इन भर्तियों में नियुक्ति की व्यवस्था 65 फीसदी कोटा के हिसाब से बदल दी जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें बिहार की भर्तियों में एससी, एसटी, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने के फैसले को गलत करार दिया गया था। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से दिए एक फैसले में कहा कि राज्यों के पास अधिक वंचित जातियों के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में उप वर्गीकरण करने की शक्तियां हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने 6:1 के बहुमत से व्यवस्था दी कि राज्यों को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) में उप वर्गीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों के भीतर और अधिक पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए। बहुमत के फैसले में कहा गया है कि राज्यों द्वारा उप वर्गीकरण को मानकों एवं आंकड़ों के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए। पीठ में न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी, न्यायमूर्ति पंकज मिथल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीशचंद्र मिश्रा शामिल थे। पीठ 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें से मुख्य याचिका पंजाब सरकार ने दायर की है जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को चुनौती दी गई है। सीजेआई ने अपने और न्यायमूर्ति मिश्रा की ओर से फैसला लिखा। चार न्यायाधीशों ने सहमति वाले फैसले लिखे जबकि न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने असहमति वाला फैसला लिखा है। ईवी चिन्नैया मामले में पांच सदस्यीय पीठ के 2004 के फैसले को पलटते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि एससी और एसटी समुदाय के सदस्य व्यवस्थागत भेदभाव के कारण अक्सर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। न्यायमूर्ति गवई ने एक अलग फैसले में कहा कि राज्यों को एससी और एसटी में 'क्रीमी लेयर' की पहचान करनी चाहिए तथा उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। असहमति वाला आदेश देते हुए न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जाति सूची के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा कि राज्यों की सकारात्मक कार्यवाही संविधान के दायरे के भीतर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण प्रदान करने के राज्य के नेक इरादों से उठाए कदम को भी अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करके उच्चतम न्यायालय द्वारा उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने आठ फरवरी को उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें ईवी चिन्नैया फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है। शीर्ष अदालत ने 2004 में फैसला सुनाया था कि सदियों से बहिष्कार, भेदभाव और अपमान झेलने वाले एससी समुदाय सजातीय वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। अब उच्चतम न्यायालय ने इस फैसले को पलट दिया है। शीर्ष अदालत 'ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य' मामले में 2004 के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले पर फिर से विचार करने के संदर्भ में सुनवाई कर रही है,

क्या है 9वीं अनुसूची?

- संविधान में 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानून की एक सूची
- इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती
- इससे पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया
- पहले संशोधन में इस अनुसूची में कुल 13 कानून जोड़ा गया
- बाद के विभिन्न संशोधनों के बाद संरक्षित कानून की संख्या 284

विजय चौधरी

जिसमें यह कहा गया था कि एससी और एसटी सजातीय समूह हैं। फैसले के मुताबिक, इसलिए राज्य इन समूहों में अधिक वंचित और कमजोर जातियों को कोटा के अंदर कोटा देने के लिए एससी और एसटी के अंदर वर्गीकरण पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

बहरहाल, समझना होगा कि 65% आरक्षण वाला माजरा क्या है? बिहार में दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने वाले संशोधित आरक्षण कानूनों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, क्यों? लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने सड़क से लेकर सदन तक बवाल काट रखा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रुख क्या होगा, ये सभी जानना चाहते हैं। इस मुद्दे भाजपा बनाम राजद की जंग खुलेआम चल रही है। हालांकि इससे जुड़ा मामला अदालत की चौखट पर भी पहुंचा, पहले पटना हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। हालांकि दोनों ने ही आरक्षण बढ़ाने को लेकर झटका दिया। सनद् रहे कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी के नेताओं ने बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण को लेकर सड़क से सदन तक बवाल काट रखा है। एक ओर बिहार विधानसभा में राजद के सदस्यों द्वारा हंगामा देखने को मिला, वहीं लोकसभा और राज्यसभा में भी इसे लेकर विरोध हो रहा है। आरजेडी सांसदों ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मांग की गई कि बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण कोटा को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। पहले आपको ये समझना चाहिए कि आखिर ये माजरा क्या है? दरअसल, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पिछली 'महागठबंधन' सरकार ने जाति आधारित गणना कराया था, जिसके मुताबिक राज्य में पिछड़े वर्ग, दलित और आदिवासियों की कुल आबादी में हिस्सेदारी करीब दो तिहाई है। इसके बाद उस वक्त की 'महागठबंधन' सरकार ने इन वर्गों का आरक्षण बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया था। इन आरक्षण कानूनों को नौवीं अनुसूची में रखे जाने से ये न्यायिक समीक्षा से मुक्त हो जाएंगे और राज्य सरकार की ओर से इसके लिए अनुरोध केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के समक्ष लंबित है। उसी को लेकर राजद के सांसदों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, तब

मीसा भारती

हमारी लंबे समय से मांग थी कि जातिय जनगणना हो। लंबे समय के बाद, बिहार में ऐसा किया गया। हम चाहते हैं कि दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का आरक्षण जिसे हमने बढ़ाकर 65% किया है, उसे संरक्षित किया जाना चाहिए। अब यहां ये समझना जरूरी है कि आखिर इन आरक्षण कानूनों को मोदी सरकार नौवीं अनुसूची में रखे जाने के लिए मुहर क्यों नहीं लगा रही है। वही बिहार की नीतीश सरकार में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दावा किया है कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद संशोधित आरक्षण कानून प्रभावी नहीं रह गए हैं। पुराने कानून जिसके तहत आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित की गयी है, लागू रहेंगे। यह एक तकनीकी बात है जिसे विपक्ष को समझना चाहिए। दरअसल, महागठबंधन की सरकार ने जिस कानून के तहत आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दी थी। उसके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस पर अदालत ने रोक लगा दिया। पटना उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण में की बढ़ोतरी को खारिज कर दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और वहां से भी झटका लगा। सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके तहत बिहार में दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने वाले संशोधित आरक्षण कानूनों को रद्द कर दिया गया था। हालांकि, प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला

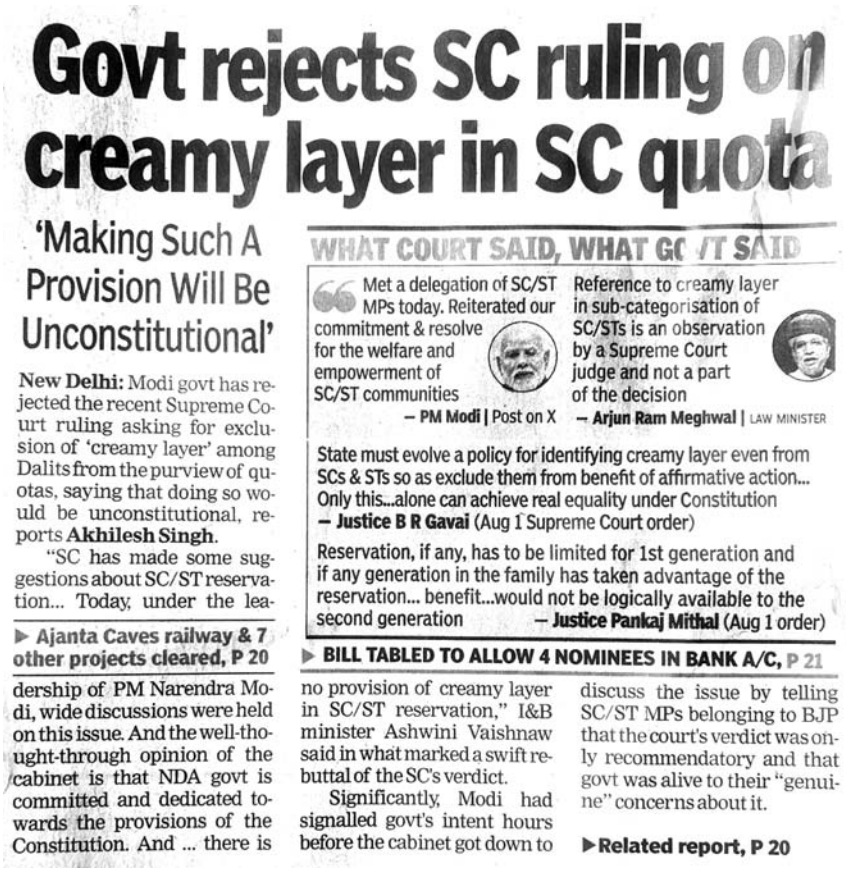

Govt rejects SC ruling on creamy layer in SC quota

'Making Such A Provision Will Be Unconstitutional'

New Delhi: Modi govt has rejected the recent Supreme Court ruling asking for exclusion of 'creamy layer' among Dalits from the purview of quotas, saying that doing so would be unconstitutional, reports **Akhilesh Singh**.

"SC has made some suggestions about SC/ST reservation... Today, under the leadership of PM Narendra Modi, wide discussions were held on this issue. And the well-thought-through opinion of the cabinet is that NDA govt is committed and dedicated towards the provisions of the Constitution. And ... there is no provision of creamy layer in SC/ST reservation," I&B minister Ashwini Vaishnaw said in what marked a swift rebuttal of the SC's verdict.

Significantly, Modi had signalled govt's intent hours before the cabinet got down to discuss the issue by telling SC/ST MPs belonging to BJP that the court's verdict was only recommendatory and that govt was alive to their "genuine" concerns about it.

▶ Ajanta Caves railway & 7 other projects cleared, P 20

▶ BILL TABLED TO ALLOW 4 NOMINEES IN BANK A/C, P 21

▶Related report, P 20

WHAT COURT SAID, WHAT GOVT SAID

Met a delegation of SC/ST MPs today. Reiterated our commitment & resolve for the welfare and empowerment of SC/ST communities
— PM Modi | Post on X

Reference to creamy layer in sub-categorisation of SC/STs is an observation by a Supreme Court judge and not a part of the decision
— Arjun Ram Meghwal | LAW MINISTER

State must evolve a policy for identifying creamy layer even from SCs & STs so as exclude them from benefit of affirmative action... Only this...alone can achieve real equality under Constitution
— Justice B R Gavai (Aug 1 Supreme Court order)

Reservation, if any, has to be limited for 1st generation and if any generation in the family has taken advantage of the reservation... benefit...would not be logically available to the second generation
— Justice Pankaj Mithal (Aug 1 order)

और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की ओर से दायर 10 याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर नोटिस भी जारी नहीं किया। उसने याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कहा कि इन्हें सितंबर में सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया जाएगा। उस वक्त सीजेआई ने कहा था कि हम मामले को सूचीबद्ध करेंगे, लेकिन हम (उच्च न्यायालय के फैसले पर) कोई रोक नहीं लगाएंगे। वर्तमान चरण में कोई अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इसी साल 20 जून को कहा था कि पिछले साल नवंबर में बिहार की द्विसदनीय विधायिका द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए गए संशोधन संविधान में प्रदत्त 'अधिकार से परे, कानून की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण और समानता के अधिकार का उल्लंघन' हैं।

गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव के खेमे ने जहां आरक्षण के मुद्दे पर अपनी कमर कस ली है। वहीं दूसरी ओर सभी सियासी दिग्गजों की निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी हुई

है। नीतीश सरकार ने भले ही सर्वोच्च अदालत का रुख किया और वहां से उसे झटका लगा, लेकिन राजद की उस मांग को लेकर नीतीश का विचार कोई समझ नहीं पा रहा है, जिसमें आरक्षण बढ़ाए जाने वाले कानून को नौवीं अनुसूची में डाले जाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जा रहा है। साथ ही जहां एक ओर आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किए जाने वाला कानून अधर में लटका हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत में क्रेडिट गेम भी जारी है। विजय कुमार चौधरी ने आरक्षण बढ़ाने वाले कानून का सूत्रधार नीतीश कुमार को बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 'वे हताश हैं कि जाति सर्वेक्षण और आरक्षण में बढ़ोतरी का श्रेय मुख्यमंत्री को मिल रहा है। वे कुछ सुर्खियां बटोरना चाहते थे। जब केंद्र से इन्हें नौवीं अनुसूची में डाले जाने के लिए पहले ही अनुरोध किया जा चुका है, तो इस मुद्दे को फिर से उठाना बेतुका है।' ज्ञात हो कि दूसरी तरफ अनुसूचित जाति को मिलने वाले 15 फीसदी आरक्षण में भी सब-कोटे को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी। अदालत ने 6-1 के बहुमत से फैसला देते हुए कहा कि राज्यों को एससी आरक्षण में भी जातीय आधार पर उसके वर्गीकरण का आधार है। यह आरक्षण उन जातियों के लिए अलग से वर्गीकृत किया जा सकता है, जो पिछड़ी रह गई हों और उनसे ज्यादा भेदभाव किया जा रहा हो। यही नहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस पंकज मिथल ने कहा कि किसी भी कैटिगरी में पहली पीढ़ी को ही आरक्षण मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एससी और एसटी में आरक्षण का वर्गीकरण करना उचित विचार है। जस्टिस पंकज मिथल ने कहा कि इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि आरक्षण मिलने के बाद दूसरी पीढ़ी सामान्य वर्ग के स्तर पर आ गई है या नहीं। यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर एक पीढ़ी के बाद आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इस अहम केस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग में समरूपता नहीं है। इसमें भी विभिन्नताएं हैं। हालांकि 7 जजों की बेंच में अकेले जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की राय अलग थी। उनका कहना था कि अनुसूचित जाति वर्ग को जाति नहीं बल्कि क्लास के आधार पर आरक्षण मिलता है। वहीं जस्टिस मिथल ने कहा कि आरक्षण किसी भी वर्ग में पहली पीढ़ी को ही मिलना चाहिए। इसके बाद दूसरी पीढ़ी को यह लाभ नहीं मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सिस्टम में भेदभाव के चलते एससी और एसटी वर्ग ऊंचाई हासिल नहीं कर सका। लेकिन संविधान का आर्टिकल 14 उप-वर्गीकरण की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक

तथ्य बताते हैं कि उपेक्षित वर्ग में भी विभिन्नताएं रही हैं और उन्हें अलग-अलग सामाजिक परिस्थितियों में रहना पड़ा है। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां 25 जातियों में से 9 ही एससी में हैं। हमने यह भी देखा है कि इस वर्ग में भी समरूपता नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यदि कोई समाज उपेक्षित है तो फिर उसके प्रतिनिधित्व को नकारा नहीं जा सकता। इस केस में जस्टिस बीआर गवई ने बीआर आंबेडकर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आंबेडकर कहते थे कि 'हमें एक सामाजिक लोकतंत्र बनना है। राजनीतिक लोकतंत्र की जरूरत इतनी नहीं है।' उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति में भी हर वर्ग को अलग-अलग तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह कहा जा सकता है कि कोई पार्टी सब-कोटा का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करेगी, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं। असली उद्देश्य तो समानता ही होना चाहिए। बस इस फैसले के लिए उचित अध्ययन जरूर किया जाए।

बहरहाल, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास (एलजेपी-आर) ने सुप्रीम कोर्ट से एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटगरी और क्रीमी लेयर बनाने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। लोजपा रामविलास ने बयान जारी कर कहा कि वह शीर्ष अदालत के फैसले की पक्षधर नहीं है। पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान की बात को दर्शाते हुए पार्टी ने कहा कि जब तक समाज में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के खिलाफ छुआछूत जैसी प्रथा है, तब तक एससी-एसटी श्रेणियों को सब-कैटगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि आरक्षण के लिए एससी और एसटी वर्गों के अंदर सब कैटगरी बनाई जा सकती है। यानी कि अब एससी-एसटी आरक्षण के अंदर सब कोटा बनाकर विशिष्ट जातियों को अलग से आरक्षण दिया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने ओबीसी की तर्ज पर एससी और एसटी वर्ग में भी क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने का फैसला भी सुनाया। यानी कि एससी और एसटी वर्ग के जो अमीर लोग हैं, उन्हें आरक्षण के दायरे से वंचित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एससी-एसटी वर्ग

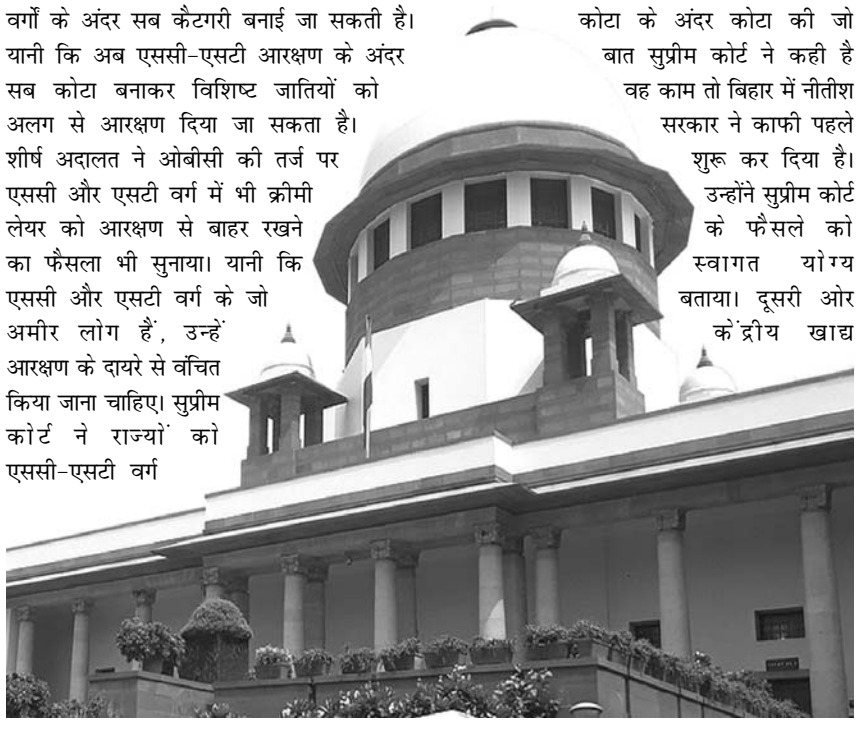

में क्रीमी लेयर की पहचान करने के संबंध में नीति बनाने के भी निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बिहार में दलित राजनीति करने वाली चिराग पासवान की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन नहीं किया है और पुनर्विचार की मांग भी कर दी है। वहीं, लोजपा रामविलास की सहयोगी और बिहार के मुख्य सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जेडीयू नेता और नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार ने पहले ही महादलित और अति पिछड़ा जैसी सब-कैटगरी बनाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला बिहार सरकार के पुराने रुख की पुष्टि करता है।

बताते चले कि एससी-एसटी के रिजर्वेशन में सब कैटेगरी बनाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले के बाद जहां सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के स्टैंड से एनडीए में फूट साफ नजर आता है। इस फैसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई ताजा बयान तो सामने नहीं आया है लेकिन उनकी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) और सत्ताधारी एनडीए के एक महत्वपूर्ण घटक दल लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान के स्टैंड में साफ विरोधाभास नजर आता है। जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने इस बारे में कहा कि रिजर्वेशन के तहत कोटा के अंदर कोटा की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वह काम तो बिहार में नीतीश सरकार ने काफी पहले शुरू कर दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वागत योग्य बताया। दूसरी ओर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में कोटा में कोटा और इसमें क्रीमी लेयर संबंधी निर्णय का समर्थन नहीं किया। चिराग ने कहा कि एससी-एसटी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लोक जनशक्ति (रामविलास) पक्षधर नहीं है। चिराग पासवान ने इस फैसले को एससी समुदाय में बंटवारा डालने वाला बताया है और कहा है कि जो राज्य ऐसा डिवाइड ऐंड रूल की सोच रखते हैं, वह इसको बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि अनुसूचित जाति की एकता ही उनकी ताकत है और कई लोग इस ताकत से घबराते हैं और इसीलिए बंटवारा करना चाहते हैं। उनके अनुसार अनुसूचित जाति की जमात का

चिराग पासवान

अशोक चौधरी

तेजस्वी यादव

आधार अस्पृश्यता है। दूसरी ओर अशोक चौधरी इसे दलित समाज को बांटने के बजाय दलित समुदाय के हाशिए पर रह रहे लोगों को बढ़ावा देने का उपाय मानते हैं। आयोग को अनुसूचित जातियों में शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर जातियों की पहचान करनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के जिस मामले में ताजा फैसला दिया है वहां भी दलितों में से वाल्मीकि और मजहबी सिख के लिए अलग व्यवस्था की गई थी। पंजाब और बिहार के मामले में बुनियादी फर्क यह है कि बिहार में हाशिए वाली अनुसूचित जातियों के लिए कुछ सुविधा अलग से दी गई थी जबकि पंजाब में उनके लिए रिजर्वेशन के अंदर 50 फीसदी रिजर्वेशन किया गया है। बिहार सरकार ने महादलित घोषित समुदाय के लिए तीन डिसमिल जमीन और दूसरी सुविधाएं दी थीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार का यह कदम दरअसल उस वक्त दलित समुदाय के बड़े नेता और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के बढ़ते कद को कम करने के लिए किया था। बहुत से लोगों का मानना है कि चिराग पासवान का ताजा बयान दरअसल इस पुराने जख्म को कुरेदने जैसा है। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेताओं ने कोई बयान जारी नहीं किया है। यह माना जा रहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पक्ष में है लेकिन वह इस मामले में खुलकर सामने नहीं आना चाहती। इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव और राजद के बयान से साफ है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ नहीं है और चिराग पासवान की बात से सहमत हैं। तेजस्वी यादव ने एससी-एसटी आरक्षण में कोटे में कोटे का विरोध किया और कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और विषमता पाटने के लिए की थी। ध्यान रहे कि बिहार में जातिगत गणना के बाद आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़कर 65 फीसदी की गई थी लेकिन उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। ताजा मामले में एक और जहां चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार की बात कही है तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले पर सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले पर एनडीए के अलग-अलग नेताओं की अलग-अलग राय से असहजता का अनुमान लगाया जा सकता है हालांकि वह क्रीमी लेयर के मुद्दे पर एक नजर आते हैं। जदयू नेता अशोक चौधरी का कहना है कि जहां तक क्रीमी लेयर की बात है तो यह देखना होगा कि अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण किस आधार पर मिला। उनके अनुसार यह आरक्षण छुआछूत के आधार पर मिला। उनके अनुसार क्रीमी लेयर की बात पिछड़ी जातियों के संदर्भ में है। क्रीमी लेयर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान भी इसी तरह की राय रखते हैं। इस परिस्थिति में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में उप वर्गीकरण को अमान्य करार देगी? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में उप वर्गीकरण के मामले में भारतीय जनता पार्टी ऊहापोह का शिकार नजर आती है और जनता दल (यूनाइटेड) सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आदेश के साथ नजर आता है। चिराग पासवान नरमी भरे शब्दों में पुनर्विचार की मांग करते हैं तो तेजस्वी यादव साफ तौर पर अध्यादेश लाने की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत और गैरबराबरी दूर करने के लिए आरक्षण दिया था। इसमें आर्थिक आधार या क्रीमी लेयर जैसी शर्तें मंजूर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सवाल पर तेजस्वी यादव ने सीधे-सीधे कहा कि इस फैसले से हम सहमत नहीं हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में इन लोगों को आरक्षण दिया। उन्होंने क्रीमी लेयर आर्थिक आधार को देखकर नहीं दिया था। उस समय समाज में छुआछूत, भेदभाव और गैरबराबरी व्याप्त थी। वह आज भी जारी है। दलितों आदिवासियों के प्रति मानसिकता पूरी तरीके से बदली नहीं है। आरक्षण इस गैर बराबरी को हटाने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कोई संवैधानिक एंगल नहीं है। तेजस्वी यादव ने बिहार में 65 प्रतिशत आरक्षण सीमा पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इसे संविधान के शेड्यूल नाइन में शामिल करने के लिए हम लोग कोर्ट मूव करने की तैयारी कर चुके हैं।

सम्राट चौधरी

गौरतलब है कि तेजस्वी के बयान के बाद पलटवार में बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राज्य में बढ़े हुए आरक्षण को लेकर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब देते हुए पलटवार किया है और कहा कि लालू

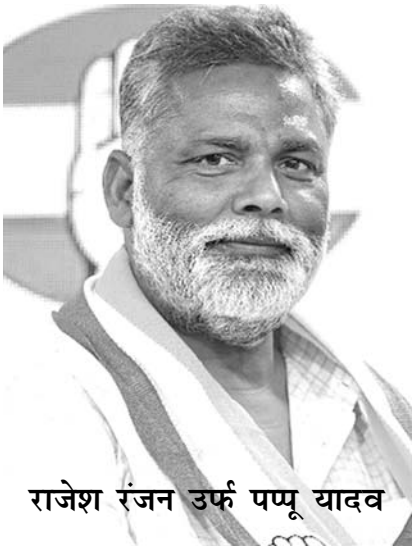
राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव

यादव को बताना चाहिए कि उन्होने किसे आरक्षण दिया है। कांग्रेस और आरजेडी को आरक्षण पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। राजद और कांग्रेस के नेता सिर्फ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता सब जानती और समझती है। बिहार कल भी आरक्षण के सपोर्ट में थी और आज भी रिजर्वेशन के समर्थन में है। लोकतंत्र के इतिहास में न तो कांग्रेस और न ही लालू प्रसाद ने किसी को आरक्षण दिया। इसलिए इन दोनों दलों को आरक्षण पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। बिहार की जनता सब समझती है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी आरक्षण को खारिज नहीं किया है, बल्कि स्टे लगाया है। जिस पर सरकार की पूरी नजर है और उस दिशा में जरूरी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाया था कि केंद्र और बिहार दोनों में एनडीए की सरकार है। लेकिन बढ़े आरक्षण को संविधान की नौंवीं सूची में शामिल कराने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। बीजेपी हमेशा से आरक्षण की विरोधी रही है। वहीं नीतीश सरकार ने भी इस मामले पर अब चुप्पी साध ली है। उनकी पार्टी के नेता इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लगता है कि नीतीश कुमार की एनडीए में सुनी नहीं जा रही है, या फिर वो सुना नहीं रहे हैं। लेकिन आरजेडी सड़क पर आंदोलन करेगी, और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल करेगी। आपको बता दें बिहार आरक्षण कानून को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और याचिका दाखिल की थी। जिस पर शीर्ष अदालत ने स्टे लगाए रखा है। अब सितंबर में इस मामले की पूरी सुनवाई के बाद फैसला आएगा। दूसरी ओर पप्पू यादव ने भी इस पर और असहमति जताई और कहा कि यह लागू होता है तो जीतन राम मांझी के पोता को आरक्षण नहीं मिलेगा। इस फैसले के विरोध में एलजेपीआर सांसद शांभवी चौधरी ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि दलित समाज को दिया जा रहा आरक्षण ही छुआछूत पर आधारित है तो इसमें वर्गीकरण या क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं होना चाहिए। लोजपा (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण इसलिए दिया गया था क्योंकि लोगों के साथ छुआछूत और भेदभाव होता है, ऐसे में क्रीमी लेयर इसका आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी आरक्षण में सब कैटगरी और क्रीमी लेयर बनाने के फैसले पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने शीर्ष अदालत के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जब अनुसूचित जाति के आरक्षण का आधार ही छुआछूत है तो उसका वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का प्रावधान कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी एक जाति को ज्यादा आरक्षण मिल रहा है और दूसरी को कम मिल रहा है। बिहार के समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात हो रही है। मगर इस वर्ग को छुआछूत की वजह से ही आरक्षण दिया गया था। अगर आपकी जाति को कभी भी भेदभाव का सामना करना पड़ा, आपके साथ जाति के आधार पर गलत हुआ या छुआछूत की गई तो समाज में सामान्य प्रतिनिधित्व दिलाने के

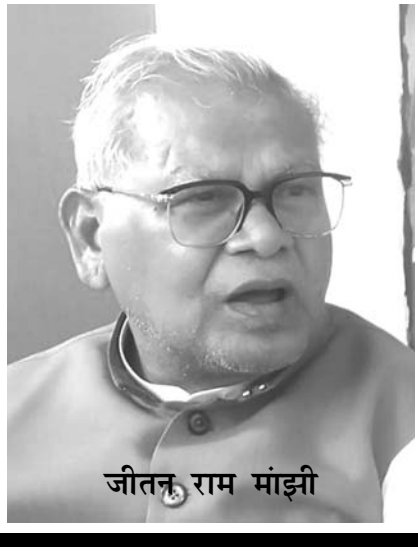
जीतन राम मांझी

शांभवी चौधरी

लिए आरक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि अब आप इसमें क्लास डिविजन या सब डिविजन लाने के प्रयास में हैं, तो यह सही नहीं है। अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर कैसे हो सकती है। इसका आधार कुछ और है और आप उसे कुछ और प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। शांभवी ने कहा कि आरक्षण का लाभ सामान्य है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक जाति को आरक्षण ज्यादा मिल रहा है और दूसरी को कम मिल रहा है। जातियों के आधार पर उस आरक्षण को आप उसको नहीं बांट सकते हैं। एससी आरक्षण का आधार कभी भी क्लास डिविजन नहीं था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में ओबीसी रिजर्वेशन की तर्ज पर एससी और एसटी कोटे में भी सब कैटगरी बनाई जा सकती है। साथ ही राज्यों को एससी और एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर बनाकर सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर करने की भी बात कही गई।

विदित हो कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान द्वारा आरक्षण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने पर जीतन राम मांझी भड़क गए। उन्होंने कहा कि क्या उन्हें हमेशा आरक्षण मिलता रहेगा? कोटा के अंदर कोटा को लेकर चिराग पासवान द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर उन्होंने कहा कि यह कोई बात नहीं है कि जो बढ़ा है वह बढ़ता रहे। इसलिए किसी भी मामले में हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। जो फैसला अभी आया है वह 10 एक साल पहले आ जाना चाहिए था। अंबेडकर के अनुसार साक्षरता एक मापदंड है। सबसे निचले स्तर पर जो लोग हैं, जिनकी साक्षरता दर 15% से कम

चिराग पासवान

है उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए। जिनकी साक्षरता दर 7%, 8% है, उन्हें खुशहाल बनाया जाना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि समाज में गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास किया जाना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा है कि यह सब ठीक नहीं है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी हो रहा है, वह चारों जातियों के सभी लोग अपने हैं। अब आरक्षण के अंदर कोटा को लेकर एनडीए के दो घटक दल आमने-सामने आ गए हैं। एससी एसटी को लेकर दिए गए सुप्रीम कोट के फैसले से जहां चिराग पासवान नाखुश हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को स्वार्थी बता दिया है, जिन्होंने कोर्ट के फैसले पर असहमती जताई हैं। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि मुसहर, भुइयां, मेहतर जाति के जो लोग हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। गरीब और गरीब हो रहा है। इस जाति के लोग कितने इंजीनियर, आईएएस या आईपीएस हैं। जो लोग आज नराजगी जता रहे हैं उसी चार जातियों के लोगों को आरक्षण का लाभ ज्यादा मिलता है। यानी शिड्यूल कास्ट के लोग ही 76 साल से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को समझना चाहिए कि सिर्फ पासवान जाति को आरक्षण नहीं मिलेगा, उसमें समाज में और भी जातियां हैं। दरअसल, जीतन राम मांझी का मानना है कि सीएम नीतीश कुमार ने 2011-2012 में ही आरक्षण के अंदर कोटे की व्यवस्था कर दी थी। कुछ लोगों ने इसे कोर्ट में चैलेंज किया था, इस पर रोक लगी थी अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मान्य कर दिया। इसमें गलत क्या है? इसे समझने की जरूरत है। आरक्षण के अंदर कोटा मिलने से निचली जातियों को लाभ मिलेगा, जो अब तक नहीं मिल सका है। उनका कहना है कि जो भी आरक्षण का लाभ है वो सिर्फ चार जातियों को ही मिलता है, अति पिछड़ों और महादलितों को आरक्षण का पूरा फायदा नहीं पहुंचता।

सनद् रहे कि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के मुद्दे पर क्रीमी लेयर का जो हवाला दे रही है, वास्तव में क्रीम लेयर क्या है यह समझना जरूरी है। ज्ञात हो कि भारत में क्रीमी लेयर ओबीसी के अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग को सूचित करता है। इस वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। आरक्षण का लाभ वास्तव में वंचित वर्ग के लोगों को मिले, इसके लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया है। क्रीमी लेयर की अवधारणा इंद्रा साहनी मामले (1992) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेश की गई थी, जिसे मंडल आयोग मामले के रूप में भी जाना जाता है। अदालत ने फैसला सुनाया कि ओबीसी में उन्नत वर्गों को आरक्षण के लाभ का दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वर्ग के वास्तव में जरूरतमंद लोगों को ये लाभ मिलना चाहिए। इसके मुताबिक, आठ लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों को क्रीमी लेयर का हिस्सा माना जाता है। यह आय सीमा सरकार की ओर से समय-समय पर संशोधित की जाती है। इसके अतिरिक्त, ग्रुप ए और ग्रुप बी सेवाओं में उच्च पदस्थ अधिकारियों के बच्चे भी क्रीमी लेयर में शामिल हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे संपन्न पेशेवरों के बच्चों को भी क्रीमी लेयर का हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर कृषि भूमि के मालिक परिवारों को भी क्रीमी लेयर में शामिल किया गया है। क्रीमी लेयर के सदस्य सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों सहित ओबीसी के लिए आरक्षित लाभों के लिए पात्र नहीं हैं। वर्तमान में क्रीमी लेयर की अवधारणा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लगभग सभी लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन अब कोर्ट की इस ऐतिहासिक सिफारिश के बाद इसमें बदलाव की संभावना है। हालांकि कोटे में कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी यह मुद्दा थमता नहीं दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए का सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता है। लोजपा (रामविलास) चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहले भी कह चुके हैं कि उनकी पार्टी

मायावती

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेगी कि वह इस फैसले की समीक्षा करे। दरअसल, चिराग ने कहा था कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बनाने से समाज के वंचित वर्ग के उत्थान का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का आधार छुआछूत है, जो समाज में अभी भी जारी है। बता दें कि इससे पहले यूपी की पूर्व सीएम और बसपा चीफ मायावती भी इस मामले को लेकर अपनी असहमति जाहिर कर चुकी हैं। मायावती ने कहा था कि उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उप-वर्गीकरण की मंजूरी देने वाले फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं है। उन्होंने कहा था कि एससी और एसटी समुदायों ने अत्याचारों का सामना एक समूह के रूप में किया है और इन समूहों के भीतर किसी भी तरह का उप-वर्गीकरण करना सही नहीं होगा। मायावती ने कहा था कि आरक्षण में वर्गीकरण का मतलब आरक्षण को खत्म कर उसे सामान्य वर्ग को देने जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हमारी पार्टी सहमत नहीं है और हम रिजर्वेशन में से किसी तरह के वर्गीकरण के खिलाफ हैं। बता दें कि कोटे में कोटा का फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से दिया था। फैसले में साफ कर दिया है कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में समक्ष होंगी।●

दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा : वैभव

शांत स्वभाव, मृदुभाषी एवं तीखे तेवर के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने में सफल बिहार पुलिस सेवा के 56-59 वी बैच के अधिकारी नभ वैभव अपने सेवा के अल्प काल में ही कम्यूनिटी पुलिसिंग के बदौलत मसौढ़ी की जनता का विश्वास जीतने में तो सफल हो ही रहे है साथ ही साथ अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। मूलत: रोहतास जिले के मोकर गांव से आने वाले श्री वैभव के पिता जी बिहार प्रशासनिक सेवा में अपनी योगदान को दिया है और संयुक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। बचपन से ही प्रशासनिक माहौल में पले बढ़े वैभव की प्रारम्भिक शिक्षा दीक्षा भी कई जिले को स्कूलों से पूर्ण हुई फिर लोक प्रशासन में मास्टर की डिग्री के लिए प्रयागराज जाना पड़ा और सिविल सेवा की तैयारी के लिए जुट पड़े। हमारे पत्रिका प्रतिनिधि **श्रीधर पाण्डेय** ने मसौढ़ी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1 **नभ वैभव** से खास मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर बात किया जिसके संपादित कुछ अंश :-

★ आप सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए किन रणनीतियों पर काम किया?

कोई भी परीक्षा की तैयारी के लिए रणनीति बनाना बहुत जरूरी होता है। कोई भी काम फुल डेडिकेटेड होकर करने से सफलता के चांस बढ़ जाते है। कड़ी लगन एवं मेहनत के दम पर सफलता के करीब पहुंचा जा सकता है उसके लिए ईमानदारी पूर्वक लक्ष्य के प्रति अडिग रहे। मैं भी उसी तरह तैयारी किया। रात मे बैठकर दिन भर क्या क्या पढ़े उसका अचीवमेंट नोट तैयार करना, कल क्या पढ़ना है उसकी प्लानिंग, पी टी के लिए, मेंस के लिए अपने हिसाब से सब्जेक्ट वाइज समय को मैनेज कर ईमानदारी पूर्वक मेहनत से सफलता अवश्य मिलती हैं।

★ आप युवा है अब बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी भी, पुलिस सेवा में आने के पूर्व मन में क्या-क्या भ्रांतियां रही होंगी?

देखिए हमारे मन मे कुछ ऐसी भ्रांतियां रही नहीं क्योंकि हमारे पिता जी बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके है तो प्रशासन में कुछ चीजों को देखा ही था लेकिन पुलिस प्रशासन के संबन्ध में इतनी ज्यादा जानकारियां नहीं थी जो भी था एक समान्य जागरूक आदमी के लिए होता हैं। सेवा में आने के बाद बहुत सारी जानकारियां हुई, अब विभाग काफी अपग्रेड होने लग गया हैं।

★ पुलिस से दोस्ती और दुश्मनी दोनों अच्छी नहीं होती ऐसी कहावत तो आपने सुना ही होगा लेकिन बिहार पुलिस के द्वारा लगातार पुलिस पब्लिक मैत्रेयी संबन्ध स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे है लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल पा रहीं है कहाँ चूक हैं?

आज के समय मे ऐसा कुछ नहीं हैं। 1 जुलाई से नए कानून देश में आ गए हैं तो ऐसा कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति होगी। पुलिस के काम मे पब्लिक का रोल महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका काम बिल्कुल पब्लिक के लिए ही हैं। आज पुलिस कोई भी काम छुपा के नहीं कर सकती हैं, आम आदमी को बैकग्राउंड में रखकर हर एक चीज की जानकारी देना हो, तथ्यों को इन कैमरा सारे सबूत रखने हैं तो आज का समय बिल्कुल बदलाव का समय हैं। पुलिस हर माध्यम से लोगों से जुड़ना चाहती हैं। आजादी के पहले ये बाते होती थी जो दिमाग में आज भी कुछ लोगों को बैठी हुई हो सकती है लेकिन ये धीरे धीरे लगातार पुलिस के प्रति लोगों के नजरिए को जागरूक कर रहा है। कम्यूनिटी पुलिसिंग के माध्यम से भी पुलिस लोगों का मदद लेती है, हम हर जगह अपनी पुलिस कर्मियों को खड़ा तो नहीं कर सकते इसलिए जनता ही हमारे आंख और कान के काम करती है। आम लोग भी बड़ी सूचनाएं आसानी से हमलोगों तक पहुंचाने में मदद करते है जिनसे बड़ी घटनाओं पर त्वरित करवाई भी होती हैं। ज्यादा से ज्यादा आम लोगों से लगाव पुलिस कार्य शैली को मजबूत करता हैं। आम लोग भी आज काफी जागरूक हुए हैं बिहार पुलिस का डायल 112 क्विक रिस्पॉन्स करती हुई लोगों की सेवा के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं,हमारे कार्यो की सराहना भी लोगों के द्वारा किया जाता रहा है। बिहार पुलिस यहाँ की आम आवाम के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं और लोग भी पुलिस को ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं देते हुए गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए मदद करे।

★ बिहार पुलिस अकादमी की ट्रेनिंग और क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव दोनों के बीच क्या अन्तर महसूस करते हैं आप?

अकादमी का ट्रेनिंग भी एक पार्ट हैं, वहाँ फिजिकली ट्रेंड किया जाता हैं ,लीगल लॉ मेजर,माइनर बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है और हमलोग का एक्जाम पास करने के उपरांत जिला ट्रेनिंग में एक साल के लिए भेज दिया जाता हैं। अकादमी की ट्रेनिंग और क्षेत्र मे काम दोनों में सामंजस्य है और सर्विस में दोनों की अपनी महती भूमिका हैं।

★ अपराध अनुसंधान करते समय किन बिंदुओं पर ध्यान देते हैं ताकि कोई निर्दोष दोषी न बन सके?

कोई भी अपराध घटित हो जाता है तो हमलोग घटना स्थल का निरीक्षण करते हैं और वहाँ से बारीक जानकारियां एकत्रित करते हैं, आम लोगों से भी जानकारियां एकजुट करते हैं। आज का अनुसंधान साइंटिफिक

और तकनीकी तरीके से होने लगा है। किसी कांड में किसी व्यक्ति का नाम आता हैं तो उसको हमलोग टेक्निकल साइंटिफिक तरीके से देखते है ताकि उस कांड में दिया गया व्यक्ति के नाम की सच्चाई क्या हैं और अगर वह कांड के प्रति सत्य प्रतीत नहीं होता हैं तो उसका नाम निकाला जाता है। हमारे तरफ से कोशिश यही रहती है कि कोई निर्दोष व्यक्ति किसी भी कांड में दोषी करार नहीं दिया जाए।

★ राजधानी पटना का मसौढ़ी अनुमंडल पुलिस के लिए शुरू से ही चुनौतिपूर्ण रहा है, क्या प्राथमिकता रहीं है आपकी?

पुलिस का कार्य ही चुनौतिपूर्ण होता है। यहाँ पुलिस के लिए चौलेंज थोड़ा है। बॉडी और प्रॉपर्टी रिलेटेड क्राइम है लेकिन पुलिस उतनी ही मुस्तैद के साथ खड़ी हैं। हमारे नजर में अपराध छोटा हो या बड़ा अपराध ही है और ऐसे कार्य करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अपने अधीनस्थ के साथ लगातार टीम वर्क करते हुए हमारी पुलिस आम लोगों की भरोसा जितने में सकारात्मक पहल कर रहीं हैं।

★ शराब माफियाओं, भूमाफियाओं एवं संगठित गिरोह पर नकेल कसने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

शराब माफियाओं पर नकेल के लिए हमारी टीम डेली छापेमारी करती है, मूसहरी में भी प्रति दिन छापेमारी की जा रहीं है कच्चे शराब का विनष्टीकरण किया जाता है ,शराब जब्ती की जा रहीं है। मैंने होली से पहले जॉइन किया था अबतक 6 से 7 शराब माफियाओं को जेल भेजकर लगातार उनपर नकेल कसा जा रहा हैं भू माफियाओं पर भी नकेल कसने के लिए हमारी टीम पूरी तरह मुस्तैद हैं गलती करने वालों को किसी भी तरह छोड़ा नहीं जाएगा।भूमि विवाद मे भी लगातार करवाई की जाती रहीं हैं।

★ बतौर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मसौढ़ी की जनता को क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे ताकि वह भयमुक्त होकर समाज में रह सके?

सबसे अहम रोल है क्राइम कंट्रोल, विधि व्यवस्था दुरुस्त करना, पब्लिक का ह्रास नहीं हो। पुलिस का सहयोग करे पुलिस आपके लिए है क्रिमिनल के लिए नहीं उन्हें किसी भी सूरत में पनाह नहीं दे। कम्यूनिटी पुलिसिंग पर हमलोग की फोकस लगातार है, शांति समिति के माध्यम से प्रतिदिन जनता दरबार के माध्यम से हमलोग आपसे कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी अब हमलोग आपसे जुड़ गए है आपलोग भयमुक्त रहकर अपना कार्य करें और गलत करने वालों की सूचना पुलिस को भी दे ताकि हम और बेहतर माहौल स्थापित कर सके।

वृक्षारोपण में घोटाला ही घोटाला

● **डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह**

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरियाली मिशन पर जोर दिया जाता है। बताया जाता है कि हर पंचायतों में भारी संख्या में पीपल, बरगद,नीम जैसे पेड़ इसमें शामिल हैं। बताया जाता है कि अधिकांश पौधें फाइलों में पौधारोपण की जाती है। ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादातर पौधे लगाए जाते हैं। सबसे अधिक छाया वृक्ष होते हैं ताकि ग्रामीण इलाके में हरियाली को और बढ़ाया जा सके। पौधों की देखरेख के लिए वनपोषकों को जिम्मेदारी दी जाती है। वे अगले 5 वर्षों तक संबंधित इलाकों में पौधों की देखरेख करेंगे। पिछले 5 वर्षों में जिले में 14 लाख 35 हजार 620 पौधे लगाए गए। मनरेगा के तहत भी पौधारोपण की संख्या को पहले की तुलना में डेढ़ गुना अधिक कर दिया गया है। इससे हरियाली बढ़ेगी। मनरेगा के तहत इस वर्ष मनरेगा के तहत जिले में 6 लाख 79 हजार800 पौधों को लगाने का लक्ष्य है। इस पर 51-75 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। यानी एक पौधे लगाने में 800 रुपए का खर्च होगा जिसमें 400 रुपए गैवियन पर होने वाला खर्च भी शामिल हैं।शेष चार सौ रुपए पौधे की खरीद और मजदूरी पर खर्च किया जाएगा। हरेक जिला में मनरेगा के तहत हर साल औसतन साढ़े छः लाख पौध लगाए जा रहे हैं।

बताया जाता है कि अधिकांश पौधें फाइलों में दफन कर दी जाती है।कुछ पौधे लगाए जाते हैं वह देख भाल के अभाव में समाप्त हो जाती है। कई साल पहले नाम नहीं छापने के सवाल पर पटना जिला के फतुहा प्रखंड अंतर्गत जैतिया पंचायत के बारे में बताया कि कोई व्यक्ति ने शिकायत कर दिया था कि पौधारोपण किया ही नहीं गया है। संबंधित अधिकारियों ने अपने बचाव के लिए फतुहा थाना में अज्ञात व्यक्तियों पर एक मुकदमा दर्ज करवा दिया कि पौधा चोरी हो गया। यह है बिहार में पौधारोपण का हाल चाल।●

आईपीएस काम्या मिश्रा ने क्यों दिया इस्तीफा?

● अमित कुमार

कोई यूं ही आईपीएस नहीं बन जाता बल्कि देश की अन्य सभी प्रतिभागी तैयारियों में अव्वल यूपीएससी से प्रत्येक साल सौ में एक का चयन ही इस बात को दर्शाता है कि यह कितना कठिन है और उस कठिन परीक्षा में सफलता पाने के पीछे घंटो किताबों के बीच खपाई गई मेहनत होती है, तभी तो एक आईएएस या आईपीएस बनना अपने आप में गर्व की बात होती है। लेकिन जब यह सुनने को मिले कि आईपीएस में चयनित होकर, ट्रेनिंग को पूरा कर, जिले का कमान संभालकर, बड़े केस का उद्भेदन करने के बाद महज तीन वर्षो के कार्य के दौरान अपने पारिवारिक व्यवसाय को चलाने की बात कहकर इस्तीफा दे दिया जाता है तो यह बात हजम नहीं होती, इसमें बड़ी बात होने की अटकले लगाई जा सकती है। यह वाक्या 22 वर्ष की उम्र में वर्ष 2019 में पहले प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास कर हिमाचल प्रदेश आईपीएस कैडर प्राप्त करने के बाद 2021 में बिहार कैडर में स्थानांतरण कराकर बिहार प्रशासनिक सेवा में अहम योगदान देने वाली तेज-तर्रार आईपीएस, जिन्हे लेडी सिंघम लोग कहने लगे हैं। वह कोई

और नहीं काम्या मिश्रा हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद से ही बिहार पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया है। बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिटायरमेंट के बाद भी भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों को किसी-न-किसी रूप में सेवा देने के लिए चर्चित हैं, फिर 2056 में रिटायर होने वालीं काम्या मिश्रा ने इस्तीफा क्यों दिया? यह सवाल हरेक जुबान पर आ रहा है। जिसे, जैसे पता चल रहा है कि काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दिया है- यही सवाल उठ रहा है कि कहीं सिस्टम से परेशान तो नहीं।

विदित हो कि बिहार की लेडी सिंघम कही जाने वाली आईपीएस व दरभंगा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक काम्या मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जिले में ग्रामीण एसपी का पद सृजित होने के बाद काम्या मिश्रा 7 मार्च 2024 को दरभंगा की पहली ग्रामीण एसपी बनीं थीं। ग्रामीण एसपी से पहले पटना सचिवालय एएसपी के पद पर वह तैनात थीं। ज्ञात हो कि इस्तीफे का पत्र उन्होंने पुलिस मुख्यालय भेज दिया। इसकी पुष्टि खुद ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा ने की है। उन्होंने पत्र में निजी व पारिवारिक

वजहों का हवाला दिया है। वही एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने बताया कि इस्तीफा के संबंध में पत्र मिला है। इसे मुख्यालय को भेजा जा रहा है। फिलहाल मुख्यालय से सहमति आने का इंतजार किया जा रहा है। काम्या मिश्रा ने बताया है कि माता-पिता की अकेली बेटी हूं। वहां बड़ा कारोबार है। संभल नहीं रहा है। परिवार भी नहीं संभल रहा है। इतनी अच्छी नौकरी कोई यूं ही नहीं छोड़ता। वो दरभंगा में ग्रामीण एसपी के पद पर तैनात हैं। इस्तीफे के पीछे पारिवारिक कारण बताए जा रहे हैं। आईपीएम काम्या ने एक साल पहले भी इस्तीफे की पेशकश की थी। काम्या मिश्रा ने पांच वर्ष के अल्प कार्यकाल में बेहतरीन पुलिसिंग कर अपना नाम रोशन किया। बिहार में उन्हें लेडी सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। काम्या ओडिशा की रहने वाली हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई पूरी कर आईपीएस अधिकारी बनीं। पिछले कई महीने से इस्तीफा देने की बात कर रही थीं। वह बार-बार बोलती थीं कि नौकरी में मन नहीं लग रहा है। पुलिस पदाधिकारी से लेकर कर्मियों तक त्यागपत्र देने की बात को मजाक समझ रहे थे।

2019 बैच की आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा महज 28 साल की हैं। 22 साल की उम्र में उन्होने अपने पहले प्रयास में ही यूपीएसपी की परीक्षा क्लियर कर ली थी। ओडिशा की मूल निवासी काम्या ने अखिल भारतीय रैंक 172 हासिल की थी। पुलिस सेवा की शुरूआत में उन्हें हिमाचल कैडर आवंटित किया गया था। फिर बाद में बिहार कैडर में ट्रांसफर कर दिया गया। दिल्ली के श्रीराम कॉलेज से स्नातक करने वाली काम्या मिश्रा का जन्म एक नवंबर 1996 को हुआ था। वह ओडिशा की हैं। 2019 की संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम में 172वां रैंक पाकर काम्या मिश्रा ने आईपीएस ज्वाइन किया। उन्होंने बाद में अपना

कैडर बिहार करा लिया। यानी, जाहिर रूप से बिहार से उनका जुड़ाव है। उन्होंने आईपीएस के रूप में 26 अगस्त 2019 को ज्वाइन किया और दरभंगा ग्रामीण एसपी के रूप में 06 मार्च 2024 को मिली अंतिम पोस्टिंग पर रहते हुए इस्तीफा दिया है। उनकी रिटायरमेंट तिथि 30 नवंबर 2056 है, यानी अभी 32 साल से ज्यादा। ग्रेजुएशन में ही काम्या ने तय कर लिया था कि उन्हें आईपीएस अधिकारी बनना है। इसलिए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी स्नातक के दौरान ही शुरू कर दी थी। काम्या मिश्रा ने अपराध जांच विभाग में सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी), एएसपी (सदर) और एएसपी (सचिवालय) के रूप में भी काम किया है। वो शुरुआत में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में तैनात थीं। वही काम्या मिश्रा के पति अवधेश दीक्षित 2021 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। फिलहाल मुजफ्फरपुर में सिटी एसपी के पद पर तैनात हैं। दोनों ही 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अवदेश दीक्षित आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र हैं।

गौरतलब है कि हाल ही में काम्या मिश्रा ने विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड का कम समय में उद्भेदन किया था। इस हाई प्रोफाइल मामले के लिए डीआईजी बाबूराम की ओर से गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) का जिम्मा काम्या मिश्रा को दिया गया था। मामले में पांच आरोपित गिरफ्तार हुए थे। आपको बता दें ग्रामीण एसपी (दरभंगा) के रूप में अपनी वर्तमान पोस्टिंग के दौरान उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की सनसनीखेज हत्या के मामले को सुलझाने के लिए एसआईटी टीम का नेतृत्व किया था। 16 जुलाई को दरभंगा जिले के बिरौल प्रखंड में बदमाशों ने उनकी पैतृक घर पर हत्या कर दी थी। सूत्रों के अनुसार हत्याकाण्ड के उद्भेदन के बाद कई ऐसे तथ्य सामने आये जो वीआईपी प्रमुख की बदनामी की वजह बन सकती थी, जिसे उजागर न करने को लेकर काम्या पर दबाब दिया गया हो, ऐसा कहा जा सकता है किन्तु यह बात अभी स्पष्ट नहीं हुई है। वही दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से ही बात यह भी आ रही है कि युवाओं को आगे करके राजनीति में अपनी पहचान बनाने को लेकर जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को राजनीतिक पार्टी लाँच कर रहे है और 2025 के बिहार विधान सभा चुनाव में काम्या को लड़ाने की भी बाते चल रही है। यह बाते सच है या फिर इसका हव्वा बनायी जा रही है किन्तु काम्या के इस्तीफे के पीछे की एक वजह यह भी मानी जा रही है।

बहरहाल, इस्तीफा स्वीकार होने के बाद काम्या मिश्रा आगे क्या हंगामेदार खबर बताती हैं, वह बाद में पता चलेगा। अभी यह पता चल रहा है कि वह 2 अक्टूबर को कुछ बड़ा खुलासा करेंगी या सीधे ओडिसा जाकर अपने पारिवारिक काम को संभालेंगी?●

यूपी के माननीय क्यों नहीं चाहते हैं अंग्रेजों के बनाये 'नजूल भूमि कानून' में बदलाव

● अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

देश का कोई भी हिस्सा या राज्य हो वहां पड़ी नजूल की जमीन की स्थिति ठीक वैसी ही होती है जैसे किसी एक बच्चे के कई बाप का होना। नजूल की जमीन(सरल शब्दों में सरकारी जमीन) को सब अपनी बपौती समझते हैं। गरीब जनता की तो इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह सरकारी जमीन पर कब्जा कर सके,लेकिन ताकतवर लोगों जिसमें नेताओं से लेकर बड़े-बड़े अधिकारी और बिल्डर आदि शामिल होते हैं, के लिये यह जमीन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित होती है। नजूल की जमीन पर कब्जा करने का सबसे आसान तरीका है उसे लीज पर हासिल कर लेना ,क्योंकि जमीन का कोई मालिक नहीं होता है इसलिये सरकारी कुर्सी पर बैठे अधिकारी और बाबू ही इसके 'मालिक' बन जाते हैं।वह सेटिंग के सहारे नजूल की जमीन का 'सौदा' कर देते हैं। इसी लिये जब नजूल भूमि कानून विधान सभा से पास होने के बाद मंजूरी के लिये विधान परिषद पहुंचा तो वहां करीब-करीब सभी दलों के माननीयों ने एकजुट होकर इसे 'ठंडे बस्ते' में डाल दिया। यानी माननीय नहीं चाहते हैं कि नजूल जमीन के लिये कोई ऐसा नया कानून बनें जिसके चलते नजूल की जमीन को कौड़ियों के भाव फ्री होल्ड कराने का खेल बंद हो जाये।इस कानून को लेकर सत्ता पक्ष में मनमुटाव की खबरें आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो योगी सरकार को चुनौती तक दे दी वह नजूल जमीन पर नया कानून बना ही नहीं सकते हैं। वैसे विरोध समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कम नहीं हुआ था।

दरअसल, 31 जुलाई को यूपी विधानसभा में भारी हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) विधेयक, 2024 पारित किया गया था। इसके बाद जब पहली अगस्त को यह विधेयक विधान परिषद में आया तो इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया। सबसे खास बात यह रही कि इस विधेयक का समाजवादी पार्टी के नेताओं के अलावा भाजपा के कई नेताओं ने विरोध किया है। वहीं एनडीए में भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी ने इससे असहमति जताई है। विधेयक के अनुसार, कानून लागू होने के बाद किसी भी नजूल भूमि को किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के पक्ष में पूरा मालिकाना हक हस्तांतरित करने पर रोक लग जाती। इसके बजाय, नजूल भूमि का इस्तेमाल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता। विधेयक में प्रस्ताव किया गया था कि नजूल भूमि को निजी व्यक्तियों या संस्थाओं को हस्तांतरित करने के लिए कोई भी अदालती कार्यवाही या आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये भूमि सरकारी नियंत्रण में रहे।कुल मिलाकर विधेयक का उद्देश्य नजूल भूमि प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना और अनधिकृत निजीकरण को रोकना बताया गया है। बता दें उत्तर प्रदेश में लम्बे समय से नजूल की बेशकीमती जमीनों को कौड़ियों के भाव फ्री होल्ड कराने का खेल चल रहा है। लगभग दो लाख करोड़ रुपये की इन सरकारी जमीनों को सर्किल रेट का केवल 10 फीसदी देकर फ्री होल्ड कराने की जद्दोजहद की

जा रही है। इन जमीनों को निजी हाथों में जाने से बचाने के लिए लाया गया योगी सरकार का उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति-2024 विधेयक विधान परिषद में अटक गया,तो इससे कई ताकतवर लोगों ने राहत की सांस ली।

गौरतलब हो उत्तर प्रदेश में लगभग 25 हजार हेक्टेयर जमीन नजूल की है,जिसमें से कम से कम चार हजार एकड़ जमीन फ्री होल्ड कराई जा चुकी है और अब नजूल जमीनों के मालिकाना हक को लेकर 312 केस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। करीब 2500 केस पाईप लाइन में हैं। इनसे जुड़ी जमीनों की कीमत लगभग दो लाख करोड़ रुपये है। ये जमीनें सबसे ज्यादा प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोंडा, बाराबंकी आदि में हैं। नजूल की जमीनों को फ्री होल्ड कराने का केंद्र प्रयागराज है। यहां लगभग पूरा सिविल लाइंस नजूल की जमीन पर है। एक-एक बंगला 100 से 250 करोड़ रुपये का है।इसी के चलते प्रयागराज निवासी और डिप्टी सीएम चाहते थे कि यह कानून पास हो जाये,लेकिन उन्हीं की पार्टी वालों ने इसका पलीता लगा दिया। नजूल की जमीन के लिये कैसे खेल होता है,उसकी पूरी बानगी समझने के लिये बता दें कि किसी नजूल जमीन की कीमत सर्किल रेट के हिसाब से 50 करोड़ रुपये है तो इस जमीन का बाजार भाव 100 करोड़ होगा। लेकिन मौजूदा नजूल जमीन कानून के तहत इसे सर्किल रेट का केवल 10 फीसदी देकर फ्री होल्ड कराया जा रहा है। यानि वह व्यक्ति केवल पांच करोड़ रुपये में 100 करोड़ रुपये की जमीन का मालिक बन जाता है। जबकि खास बात यह है कि नजूल एक्ट में फ्री होल्ड का प्रावधान ही नहीं है, लेकिन अब तक कम से कम 25 फीसदी नजूल की जमीन को इस तरीके से फ्री होल्ड कराया जा चुका है।

नजूल की जमीन है क्या, यह इस तरह से समझा जा सकता है आजादी से पहले अंग्रेजी हुकूमत ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और लगान चुका पाने में विफल लोगों की जमीनों को छीन लिया था। इसके बाद 1895 में गवर्नमेंट ग्रांड एक्ट के तहत ये जमीनें मामूली किराये पर अंग्रेजों ने लीज पर दे दीं। इनकी लीज अवधि 90 वर्ष तक थी। लीज पर दी गई इन जमीनों पर सरकार का मालिकाना हक कभी खत्म नहीं होता था। ऐसी जमीनों को फ्री होल्ड से रोकने के लिए प्रदेश सरकार नजूल एक्ट लाई है। सरकार इस एक्ट के जरिए नजूल की जमीन को कौड़ियों के भाव फ्री होल्ड

कराने के खेल पर रोक लगाना चाहती है। प्रस्तावित एक्ट के मुताबिक नजूल की जमीनों पर जो लोग रह रहे हैं, उन्हें नहीं छेड़ा जाना था तो वहीं गरीब और कमजोर लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की भी बात कही गई थी। यानी उन्हें हटाया भी नहीं जाएगा। केवल बची जगह पर पार्किंग, पार्क, सरकारी संस्थान, सरकारी शिक्षण संस्थान, पीएम आवास योजना या अन्य सार्वजनिक उपयोग में लाने का प्रावधान किया गया था। वहीं नजूल जमीन पर बसे बाजारों को बेहतर बनाने का प्रावधान था। नजूल एक्ट को देश के शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों की राय से तैयार किया गया है। खैर, यह समझ लेना भी जरूरी है कि नजूल की जमीन को लेकर स्वतंत्र भारत के आज तक कोई नजूल एक्ट वजूद में ही नहीं था। मानसून सत्र में

पहली बार यूपी में नजूल की जमीनों को लेकर विधेयक लाया गया। 1895 में ब्रिटिश सरकार गवर्नमेंट ग्रांड एक्ट लाई थी, जिसके तहत जमीन लीज पर देने का प्रावधान किया गया था। उस समय शहरों की तुलना में कृषि जमीनों की कीमत ज्यादा थी, इसलिए शहरी जमीनों के बड़े-बड़े टुकड़े अंग्रेजों ने लीज के रूप में दे दिए थे। आज हालात बदल गए हैं। वर्ष 2020 में इसी एक्ट को दोबारा पास कर दिया गया था। गवर्नमेंट ग्रांड एक्ट में ऑटोमेटिक रिन्यूअल का प्रावधान है, लेकिन उसमें रहने वाला जमीन का मालिक नहीं हो सकता। वह किसी तीसरे पक्ष को जमीन नहीं दे सकता। वह किसी तीसरे पक्ष के लिए जमीन दी गई है, उसके अलावा अन्य किसी उपयोग में लाने पर लीज को निरस्त किया जा सकता है। नया नजूल भूमि एक्ट यह अमली जामा पहन लेता है तो इसके बाद उत्तर प्रदेश में किसी भी नजूल भूमि को किसी प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट एंटिटी (संस्था या अन्य) के पक्ष में फ्रीहोल्ड (स्वामित्व) नहीं किया जा सकेगा। खाली पड़ी नजूल भूमि जिसकी लीज अवधि समाप्त हो रही है, उसे फ्रीहोल्ड न करके सार्वजनिक हित की परियोजनाओं जैसे अस्पताल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय आदि का उपयोग के लिए किया जाएगा।

नजूल भूमि विधेयक के अनुसार, ऐसे पट्टाधारक जिन्होंने 27, जुलाई 2020 तक फ्री होल्ड कि लिए आवेदन कर दिया है और निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है, उनके पास विकल्प होगा कि वह लीज अवधि समाप्त होने के बाद अलगे 30 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण करा सकें। बशर्ते, उनकी ओर से मूल लीज डीड का उल्लंघन न किया गया।●

वक्फ बोर्ड की आड़ में जमीन कब्जाने वालों पर शिकंजा

● संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

वक्फ और वक्फ की संपत्तियों को लेकर हिंदुस्तान में अक्सर सही-गलत चर्चा होती रहती है। हममें से अधिकांश लोगों ने वक्फ का नाम तो सुना है, लेकिन वह इसके बारे में बहुत कुछ जानते नहीं हैं। वक्फ होता क्या है। किसी मस्जिद या दूसरे धर्मस्थल के वक्फ होने का मतलब क्या है? और क्या मोदी सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के संविधान में तब्दीली की कोशिशों का असर मुस्लिम धर्मस्थलों के स्टेटस पर पड़ सकता है? चूंकि भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे बड़ा भूस्वामी वक्फ बोर्ड ही है। इसलिए हम इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि भारत में इस्लाम की आमद के साथ वक्फ के उदाहरण मिलने लगे थे। दिल्ली सल्तनत के वक्त से वक्फ संपत्तियों का लिखित जिक्र मिलने लगता है। मुगल शासन काल में क्योंकि ज्यादातर संपत्ति राजा महाराजाओं के पास ही होती थी, इसीलिए प्राय: वही वाकिफ होते, और वक्फ कायम करते जाते। जैसे कई बादशाहों ने मस्जिदें बनवाई, वो सारी वक्फ हुई और उनके प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर ही इंतजामिया कमेटियां बनती रहीं। इसके पश्चात 1947 में आजादी के बाद पूरे देश में पसरी वक्फ संपत्तियों के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने की बात उठने लगी। इस तरह 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 पास किया। इसी के नतीजे में वक्फ बोर्ड बना। ये एक ट्रस्ट था, जिसके तहत सारी वक्फ संपत्तियां आ गईं। 1955 में यानी कानून लागू होने के एक साल बाद, इस कानून में संशोधन कर राज्यों के लेवल पर वक्फ बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया। इसके बाद साल 1995 में नया वक्फ बोर्ड एक्ट आया। 2013 में मनमोहन सरकार के समय इसमें कई संशोधन करके इसे पूरी तरह से तानाशाही रूप दे दिया गया। फिलहाल जो व्यवस्था है, वो इन्हीं कानूनों और संशोधनों के तहत चल रही है,इसमें सबसे खतरनाक संशोधन यह था कि वक्फ बोर्ड जिस किसी सम्पति को अपना बता दे तो फिर वह उसकी बिना किसी जांच पड़ताल के हो जाती है और जिसकी सम्पति छीनी जाती है,वह कोर्ट या पुलिस के पास भी अपनी फरियाद लेकर नहीं जा सकता है। प्राय: मुस्लिम धर्मस्थल वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत ही आते हैं. लेकिन इसके अपवाद भी हैं। जैसे ये कानून अजमेर शरीफ दरगाह पर लागू नहीं होता। इस दरगाह के प्रबंधन के लिए दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955 बना हुआ है.

वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाने और बेहतर प्रबंधन व पारदर्शिता के लिए मोदी सरकार ने आठ अगस्त 2024 को लोकसभा में दो विधेयक पेश किये। पहले विधेयक के जरिये सरकार मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को समाप्त करने को कटिबद्ध लगती है, जबकि दूसरे से मुसलमान वक्फ अधिनियम 1995 में 44 संशोधन किए जाएंगे। सरकार इस विधेयक में बोहरा-आगाखानी के लिए अलग वक्फ बोर्ड का प्रावधान करेगी और किसी की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने के अधिकार से संबंधित धारा 40 को समाप्त कर देगी। मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संसद में पेश करने से एक दिन पहले कहा कि विधेयक लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन करना है। विधेयक पेश किए जाने के बाद सरकार ने इसे व्यापक विमर्श और सर्वसम्मति के लिए प्रवर समिति को भेज दिया है। दूसरे विधेयक में वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता विकास अधिनियम करने का प्रावधान है।

इसमें वक्फ बोर्डों के केंद्रीय परिषद और ट्रिब्यूनल की संरचना में व्यापक बदलाव लाने का भी प्रावधान है। मसलन केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में दो महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाया जाएगा। इसके अलावा कानून में संशोधन के बाद अब वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश को 90 दिन के अंदर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर का अधिकार अब जिला कलेक्टर या उसकी ओर से नामित डिप्टी कलेक्टर के पास होगा।

विधेयक की खास बातों पर नजर डाली जाए तो मोदी सरकार वक्फ अधिनियम, 1923 को वापस लेगी। पारदर्शिता, बेहतर प्रबंधन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 44 संशोधन किये जायेंगे। जिसके द्वारा आगाखानी व बोहरा वक्फ को परिभाषित किया जाएगा। पांच साल तक मुस्लिम धर्म का पालन करने वालों की संपत्ति वक्फ हासिल कर सकेगा। वक्फ के धन से विधवा, तलाकशुदा व अनाथों के कल्याण के लिए सरकार के सुझाए तरीके से काम करने होंगे। संपत्ति वक्फ को देने के दौरान उत्तराधिकारियों और महिलाओं के अधिकार नहीं छीने जा सकेंगे। वहीं रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों को 6 माह में पोर्टल पर डालना होगा। वक्फ संपत्तियों से मिलने वाले भू राजस्व, सेस, उसका रेट, कर, आय, कोर्ट मामले की जानकारी भी बतानी होगी।सरकारी संपत्ति को वक्फ अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर पाएगा। वक्फ बोर्ड में जो बदलाव होंगे उसके अनुसार मुसलमान वक्फ कानून 1923 खत्म होगा। वक्फ अधिनियम होगा एकीकृत वक्फ प्रबंधन कानून, धारा 40 होगी खत्म, जिससे किसी की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार मिल जाता है। दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार यूपीए-2 में मनमोहन सिंह सरकार ने 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन कर वक्फ बोर्ड को किसी की भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने और वक्फ बोर्ड के निर्णयों को किसी भी कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार खत्म करने जैसे बदलाव किए गए थे।

सरकारी सूत्रों के अनुसार तब से मुस्लिम समाज से जुड़े व्यक्तियों व संगठनों की करीब 60 हजार शिकायतें सरकार के पास

लंबित हैं। इन सभी शिकायतों में वक्फ बोर्ड में भारी अनियमितता व जबरन संपत्ति पर कब्जा जैसी समान बातें थीं। संशोधन विधेयक में वक्फ परिषद में भी बदलाव का प्रावधान है। मसलन परिषद के अध्यक्ष अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होंगे।तीन सांसद, मुसलमानों के तीन प्रतिनिधि, मुस्लिम कानून के तीन जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दो पूर्व जज, एक वरिष्ठ वकील, देश की चार नामचीन हस्तियां व केंद्र सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त स्तर के अधिकारी व दो महिलाएं इसकी सदस्य होंगी। उधर, विपक्षी दलों ने बिल पेश होने से पहले ही सरकार से आग्रह किया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को पेश किये जाने के बाद इस पर विचार करने के लिए संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए। वहीं सरकार ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की भावना का आकलन करने के बाद वह इस पर फैसला करेगी। इसी क्रम में मोदी सरकार ने बहुचर्चित वक्फ अधिनियम में संशोधन वाला विधेयक लोकसभा में पेश करने के बाद विपक्ष की मांग पर ध्यान देते हुए उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का जो फैसला लिया, वह इस दृष्टि से सही कदम है, क्योंकि इस समिति में उस पर विस्तार से और संभवत: दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार हो सकेगा। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि विपक्ष के पास यह बहाना नहीं रह जाएगा कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण विधेयक बिना बहस आनन-फानन पारित करा लिया और उसकी कोई बात नहीं सुनी गई। ध्यान रहे कि मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में अनेक विधेयकों के संसद से पारित होने और उनके कानून में परिवर्तित हो जाने के बाद विपक्ष ने यह माहौल बनाया कि उन पर संसद में चर्चा नहीं होने दी गई। ऐसे कुछ कानूनों को लेकर जनता को बरगलाने का भी काम किया गया। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और फिर कृषि संबंधी तीन कानूनों को लेकर विपक्ष ने अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए किस तरह जनता को गुमराह किया। देखना है कि शीघ्र गठित होने वाली संयुक्त संसदीय समिति वक्फ संशोधन अधिनियम पर किस तरह विचार करती है और वह कोई आम सहमति कायम कर पाती है या नहीं?यह अब यक्ष प्रश्न होगा।●

कौन लिख रहा है केशव के लिए स्क्रिप्ट

● संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

उत्तर प्रदेश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आजकल सबके आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं। पिछड़े समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक पुराने और समर्पित कार्यकर्ता हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के समय केशव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और बीजेपी की जीत के बाद उनके सीएम बनने की चर्चा काफी जोरों से चली थीं,लेकिन ऐन मौके पर वह सीएम की रेस से बाहर कर दिये गये,जो कारण सामने आये उसमें उनके ऊपर चल रहे आपराधिक मुकदमें अहम थे। मोदी और शाह की जोड़ी नहीं चाहती थी कि केशव प्रसाद को सीएम बनाकर वह विपक्ष को हमलावर होने का मौका दें, इसके बाद बीजेपी आलाकमान की पोटली से अप्रत्याशित रूप से योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया और उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया गया। उस समय तक योगी की पहचान एक कट्टर हिन्दूवादी नेता की होती थी और हिन्दू वाहिनी नाम से वह एक संगठन भी चलाते थे,जो काफी एग्रेसिव होकर हिन्दुत्व को प्रखरता प्रदान करता था।

केशव प्रसाद मौर्य के नीचे से सीएम की कुर्सी खिसक गई, इसका उनमें गुस्सा था, केशव की इसी गुस्से को शांत करने और पिछड़ा समाज की नाराजगी को दूर करने के लिये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें समझा बुझा कर डिप्टी सीएम बना दिया। ओहदे के अनुसार उन्हें कुछ प्रमुख विभाग भी दिये गये। इसके साथ-साथ लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ पड़ोसी भी बन गये। पांच कालीदास मार्ग योगी का पता था तो 7 कालीदास मार्ग में केशव रहते थे। दोनों के आवास के बीच में बस एक बंगला आता था,लेकिन योगी और केशव का एक-दूसरे के घर जाना नहीं होता था, यहां तक की केशव प्रसाद मौर्य के पिता की मौत के बाद योगी ने केशव के आवास पर जाकर संवेदना जताने में भी काफी समय लगा दिया। वह तब संवेदना व्यक्त करने पहुंचे जब आलाकमान ने उन्हें इसके लिये 'मजबूर' किया। यह और बात थी कि इतना सब होने के बाद भी केशव ने कभी अपनी नाराजगी को सार्वजनिक नहीं किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद वे खुलकर सामने आ गए हैं। वह मुख्यमंत्री से दूरी बनाकर चलने लगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकसभा चुनाव के बाद हुई किसी भी कैबिनेट बैठक में केशव शामिल नहीं हुए। चुनाव परिणाम आने के बाद से केशव मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होने वाली किसी बैठक में नहीं जा रहे है। वह कैबिनेट बैठकों से भी दूरी बनाए हैं। इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। योगी ने जब मंडलवार अपने सांसदों और विधायकों से हार के लिए फीडबैक लिया तो 25 जुलाई को प्रयागराज मंडल के सांसदों और विधायकों के साथ हुई बैठक में भी केशव मौजूद नहीं रहे। जबकि वह सीएम आवास के बगल में स्थित अपने सरकारी आवास पर मौजूद थे और कई पूर्व व वर्तमान मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे। उनके बैठक में नहीं पहुंचने पर प्रदेश की सियासत गरमा गई। प्रयागराज मंडल की बैठक में भाजपा के साथ अपना दल (एस) के विधायक भी पहुंचे थे। बैठक में पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, नंद गोपाल गुप्ता समेत सभी विधायक थे। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से विधानसभावार चर्चा की। इसी प्रकार केशव सीएम की बैठक में भले ही नहीं गए, पर पूरे दिन अपने आवास पर जनप्रतिनिधियों से मिलते रहे। केशव से पूर्व मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री उपेन्द्र तिवारी और राज्यमंत्री दिनेश खटीक समेत कई लोगों ने मुलाकात की। इसकी जानकारी खुद केशव ने अपने एक्स हैंडल से देते हुए फोटो भी शेयर किया है। बहरहाल,केशव भले योगी की समीक्षा बैठक में नहीं गये थे,लेकिन अपना दल (कमेरावादी) की नेता और अखिलेश से नाराज चल रहीं सपा विधायक पल्लवी पटेल ने जरूर उसी समय सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर प्रदेश की सियासी माहौल को गरमा दिया। सूत्रों के मुताबिक पल्लवी सीएम

आवास पर करीब 25-30 मिनट रही। सीएम से हुई बात को लेकर पल्लवी कुछ बताने को तैयार नहीं दिखी। हॉ, उनके करीबी सूत्रों का जरूर कहना था कि वह अपने क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मिलने गई थीं। बता दें कि पल्लवी ने पिछले विधानसभा चुनाव के केशव प्रसाद को शिकस्त दी थी। वहीं, भाजपा की सहयोगी अपना दल (एस) की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पत्र लिखा था, जिसे लेकर सियासी तूफान उठा था।

एक बात और केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के भीतर तो विरोध की चिंगारी भड़काये हुए हैं, लेकिन विपक्ष के हाथ का खिलौना वह नहीं बनना चाहते हैं, इसी लिऐ जैसे ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव नाराज केशव प्रसाद मौर्य को कोई ऑफर देते हैं तो केशव उनको करारा जवाब देकर चुप करा देते हैं। केशव की बातें योगी खेमें को काफी चुभती हैं जब केशव संगठन को सरकार से बड़ा बताते हैं तो इसमें राजनीति के जानकार सियासी रंग तलाशने लगते हैं, अब तक केशव कम से कम दो बार कह चुके हैं कि संगठन सरकार से भी बड़ा है। केशव इस समय किस-किस से मिल रहे हैं, इसको लेकर सभी में जिज्ञासा बनी रहती है। दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात और बातचीत को लेकर भी सुर्खियां बनी रहती है। वहीं केशव से मिलने वालों में भाजपा की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हैं। मौर्य के एक अन्य ओबीसी नेता, निषाद पार्टी के संजय निषाद से भी मुलाकात की चर्चा गरम है। केशव के राजभर और निषाद से मुलाकात के कई मायने हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद संजय निषाद ने ही पहला बयान दिया था कि बुलडोजर के दुरुपयोग ने हमें हरा दिया। इन्हीं लाइनों पर ओमप्रकाश राजभर ने भी बुलडोजर राजनीति की आलोचना की थी। दोनों ओबीसी नेताओं के बयान साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है, जो खुद को बुलडोजर बाबा कहलवाना पसंद करते हैं। विपक्ष का आरोप है कि योगी ने ही सबसे पहले बुलडोजर से मुस्लिमों के घर-दुकान आदि गिराने की शुरुआत की थी। ओमप्रकाश राजभर तो अब योगी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। लेकिन वो मुखर योगी विरोधी हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का योगी के दो कट्टर विरोधियों से मिलने का

मतलब आसानी से निकाला जा सकता है।यह मुद्दा इसलिए गंभीर है, क्योंकि एक अन्य ओबीसी नेता और अपना दल (एस) की अनुप्रिया पटेल भी योगी के खिलाफ मुखर नजर आ रही हैं। केशव और अनुप्रिया के सुर भी मिल रहे हैं।

बहरहाल, इस बात की संभावना नहीं है कि केशव पार्टी के खिलाफ बगावत भी कर सकते हैं। डिप्टी सीएम केशव लंबे समय से भाजपा के वफादार हैं। वो एक गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जिन्होंने विश्व हिन्दू परिषद में कार्य किया तो अपने दम पर आरएसएस में जगह बनाई। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया, जिसने यूपी में बीजेपी की किस्मत बदल दी। वह यूपी के सिराथू से एक बार के विधायक और एक बार के सांसद हैं। उन्होंने प्रदेश भाजपा में विभिन्न संगठनात्मक पदों पर काम किया है और 2017 में जब भाजपा को

सत्ता मिली तो वो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे। केशव प्रसाद मौर्य इतने गुस्से में क्यों हैं,यह तो समझ में आता है,लेकिन केशव के गुस्से को आलाकमान शांत क्यों नहीं करा रहा ,यह समझ से परे बात है। कहा तो यह भी जाता है कि ओबीसी नेता होने की वजह से भाजपा आलाकमान (मोदी-शाह) केशव की तरफ से मुंह मोड़े हुए है। केशव प्रसाद मौर्य 2022 का विधानसभा चुनाव सिराथू से महज 7337 वोटों से हार गए। मौर्य ने इसके लिए योगी को जिम्मेदार ठहराया। मौर्य ने आलाकमान तक से शिकायत की कि उन्हें अपनी ही सरकार ने हरा दिया। भाजपा आलाकमान ने योगी को संदेश देने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनवा दिया। योगी आलाकमान के फैसले से अभी तक नाराज हैं। केशव प्रसाद मौर्य लगातार चुनौतियों पेश कर रहे हैं और पार्टी आलाकमान उन्हें चेतावनी तक नहीं दे रहा है। इससे यूपी की जनता में योगी को लेकर गलत संदेश जा रहा है लेकिन आलाकमान ने मौर्य

को कुछ नहीं कहा। पिछले दिनों जब लखनऊ में प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक हुई तो मौर्य के तेवर सख्त थे। जिसमें उन्होंने वो जुमला कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। बाद में मौर्य ने इस जुमले को एक्स पर पोस्ट भी किया था। मौर्य की गतिविधियां बता रही हैं कि उन्हें भाजपा आलाकमान का संरक्षण मिला हुआ है और पार्टी अब योगी से छुटकारा पाना चाहती है। लेकिन योगी अपनी आखिरी कोशिश जारी रखे हुए हैं। कहा जा रहा है कि 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के बाद योगी को हटा दिया जाएगा। उधर, यूपी बीजेपी का झगड़ा सुलझाने के लिए कोशिशें तो आरएसएस की तरफ से भी हो रही हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई असर तो नहीं ही नजर आ रहा है,लेकिन लगता है ये झगड़ा उपचुनावों में ही भारी पड़ने वाला है. लोकसभा चुनाव में बुरी शिकस्त मिलने के बाद बीजेपी के लिए यूपी में ये नई और बड़ी चुनौती है।

लब्बोलुआब यह है कि केशव को कहां से योगी के खिलाफ बैकअप मिल रहा है। कहीं आलाकमान ही तो नहीं योगी को हटाने के लिये ही तो केशव के माध्यम से स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा है।●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

साला का गाड़ी बेचा बहनोई, साला किया मुकदमा चोरी का

सनसनीखेज मामले में पुलिस ने अपनी छवि को चमकाने के लिए रचा षडयंत्र

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

कहा जाता है संस्कार से लैस पुलिस होती है धरती का भगवान। आज की पुलिस में कितना बदलाव आया है कि समाज को सुरक्षा देने वाली पुलिस को देखते ही आम नागरिकों के पसीने छूटने लगते हैं। चार दशक पूर्व कोलकाता से पेशावर तक घूम आती महिलाओं की तरफ किसी को आंख उठाकर देखने तक की हिम्मत नहीं होती थी। पुलिस ईमानदार होते थे, समाज के बड़े लोग या छोटे उसे पकड़ने में अपने प्राणों की बाजी तक लगा देते थे। पुलिस संस्कारों से लैस होते थे तथा अपने कर्तव्य के प्रति इतने वफादार होते थे कि सफेदपोश तथा कथित लोगों को बेनकाब पल भर में कर डालते थे।

कुछ उदाहरण संस्कारहीन, कर्तव्यहीन पुलिस की है। फतुहा थाने में लक्ष्मिनीया पिस्तौल काफी चर्चा में रहा। घटना कुछ इस प्रकार है। फतुहा के गोविंदपुर निवासी शिवनंदन शर्मा के दामाद हाजीपुर के संतोष कुमार एक स्टाप के साथ अपने ससुराल फतुहा आए थे, दोनों व्यक्ति थाना के सामने आकर गुमटी पर कुछ खरीदने लगे। इस समय थाने के हरिशंकर सिंह जमादार दोनों को गुंडा, साला, चोर, बदमाश, लफुआ कहते हुए कहा कि चलो थाना में गाड़ी लगाओ। थाना में ले जाकर दोनों को हाजत में बंद कर दिया थाना प्रभारी उद्धव सिंह को जाकर सूचना दिया कि एक बुलेट गाड़ी के डिक्की में पिस्तौल बरामद हुआ है जिसे गिरफ्तार कर हाजत में बंद कर दिया हूं, थाना प्रभारी ने उन्हें धन्यवाद दिया। थाने के एक दरोगा ने मुझे पत्रकार के कारण गोपनीय सूचना दिया कि थाने के मालखाना से थाना प्रभारी को दिखलाने के लिए एक पिस्तौल निकाला है वह मोटरसाइकिल के डिक्की से बड़ा पिस्तौल है। मैंने तत्कालीन डीएसपी को सूचना दिया। सूचना पाते ही डीएसपी थाना पहुंच गए तथा पिस्तौल मांग कर डिक्की से नापे, पिस्तौल डेढ़ इंच बड़ा निकला। यह घटना देखकर वे आग-बबूला हो गए तथा खूब खरी-खोटी सुनाए तथा रजिस्टर मांग कर, पता नहीं क्या-क्या लिख दिए तथा कहा कि अब भेजो जेल यह कह कर चले गए। पुलिस ने माफी मांगते हुए मोटरसाइकिल वालों को उनका ससुराल पहुंचा दिया।

फतुहा की चर्चित घटना पुलिस मुठभेड़ में बैंक लुटेरा मारा गया। घटना कुछ इस प्रकार है। स्टेशन रोड स्थित केनरा बैंक के छत पर रात्रि में एक पागल चढ़ गया। पुलिस ने रात्रि में देखा कि कोई अपराधी है जो बैंक के छत तोड़ रहा होगा उन्होंने गोली चला दी। गोली लगते ही उस विक्षिप्त की मृत्यु हो गयी। कुछ देर में पुलिस पहुंच गई। तत्कालीन थाना प्रभारी अपनी चेहरा चमकाने या प्रमोशन पाने के लिए एक षडयंत्र रचा तथा रात्रि में ही एक हजाम को बुलाकर दाढ़ी, बाल बनवाया तथा एक टूटा फूटा पिस्तौल और कारतूस के साथ फोटो खींचकर प्रेस को दिया कि पुलिस मुठभेड़ में बैंक लुटेरा मारा गया। इस घटना से थाना प्रभारी काफी चर्चित हुए परंतु तीन दिन बाद ही एक साप्ताहिक अखबार प्रतिध्वनि में शीर्षक के साथ प्रकाशित हुआ कि एक पल में हत्या। इस समाचार से चमकते चेहरा कालिख से पुत गया तथा प्रमोशन

अमानवीय व्यवहार • बच्ची को खोजने की जहमत नहीं उठाई, डीएसपी बोले- जांच कर कार्रवाई होगा

बच्ची गुम हुई तो उसकी चाची पर बलि देने का आरोप लगा कर पुलिस ने रातभर पीटा

स्टाफ रिपोर्टर | दनियावां

दनियावां पुलिस का अमानवीय व्यवहार सामने आया है। मामला यह है कि घर से भटकी छह साल की बच्ची को तलाशने की बजाय पुलिस ने उसकी चाची रूबी देवी को झाड़-फूंक कर बलि दे देने का आरोप लगाते हुए जमकर पीटा। महिला के शरीर पर उभरे मारपीट के निशान चीख-चीख कर गवाही दे रहे थे। इतना ही नहीं बच्ची के सकुशल बरामद हो जाने के बाद भी पुलिस ने रूबी देवी को अपनी हिरासत में रखा। महिला के कहने पर भी उसे इलाज कराने के लिए न तो अस्पताल में भर्ती कराया और न ही इजाजत दी और उसे घर तक पहुंचा दिया। बुधवार को दर्द व शरीर पर उभरे जख्म के साथ महिला रूबी देवी प्रेस के सामने आई और सोमवार की रात भर चली पुलिस की बर्बर पिटाई की पोल खोली। जब इस मामले में स्थानीय पुलिस से पूछा गया तो चुप्पी साध ली। वहीं डीएसपी से पूछने जाने पर उन्होंने जांच की बात कही।

पूरे शरीर पर थे पिटाई के निशान, बहू-बेटे को भी प्रताड़ित किया

महिला रूबी देवी की मानें तो सोमवार की शाम उसके देवर राजीव साव की छह वर्षीय बच्ची खेलते हुए घर से भटक गई और वह मुंरेा गांव पहुंच गई। बच्ची के लापता होने की सूचना जैसे ही दनियावां पुलिस को मिली, वह बच्ची को तलाशने के बजाए वह बच्ची की चाची रूबी देवी के घर पहुंच गई। बच्ची की बलि देने का आरोप लगाते हुए दनियावां पुलिस ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार करना शुरू कर दिया। पुलिस ने उसे कमरे में बंद कर बर्बर तरीके से पीटा। महिला सिपाही ने उसके कपड़े खोलकर भी पिटाई की। इतने से भी

पीड़ित महिला।

मन नहीं भरा तो उसे दनियावां थाने लाकर गाली-गलौज करते पिटाई की। थाने के पीछे झाड़ी में भी ले जाकर उसकी पिटाई की। सोमवार की देर रात उसे दनियावां के सूर्य मंदिर के पास ले जाया गया। वहां भी पुलिस ने वही आरोप लगाते हुए पिटाई की। इतना ही नहीं पुलिस ने महिला के बहू-बेटे को भी प्रताड़ित किया। अहले सुबह जब पुलिस को बच्ची के मुंरेा गांव में सुरक्षित रहने की सूचना मिली तो पुलिस ने महिला को पीटना बंद किया। इसके बाद दनियावां पुलिस अपने कुकृत्य को छिपाते हुए बच्ची बरामदगी की पीठी की और बच्ची के सकुशल बरामद होने का दावा किया। इस संबंध में डीएसपी सियाराम यादव ने बताया कि पीड़ित महिला के पुलिस पर लगाए गए आरोप की जांच की जाएगी।

के बदले डिमोशन हो गया। खुसरूपुर थाना के इसोपुर गांव के खलिहान से एक लड़का अपहरण हो गया था। शायद अपहरणकर्ता को लगा कि गलती से एक दूसरे गरीब लड़का को अपहरण कर लिया हूं। यह सोचकर उस लड़का को दानापुर स्टेशन पर छोड़ दिया वह लड़का नाम पता बताने में भी असमर्थ था। स्टेशन पर देखने के लिए भीड़ जुट गई तथा पुलिस आ गई। इस समय एक महिला बाढ़ के रहने वाली ट्रेन से उतरी तथा कहा कि वह बच्चा को पहचानते हैं इशोपुर हरदास बिगहा के हैं। वहीं बगल में मेरी एक बच्ची रहती है। पुलिस ने उसके विश्वास पर घर पहुंचाने के लिए महिला को दे दिया। उस महिला ने घर पहुंचा कर वापस लौट गई। कुछ ही देर बाद नित्य दिन की तरह पुलिस आ गई तथा पूछा कि बच्चा पता चला है कि नहीं। घर के लोग और आसपास के लोगों ने कहा कि एक महिला पहुंचा कर चली गई है। यहां की पुलिस भी अपना नाम चमकाने या प्रमोशन पाने के लिए एक षडयंत्र रचा और पूछा कि महिला किधर गई है। घर के लोगों ने घर से निकल कर बताया कि वही महिला जा रही है। पुलिस उस महिला को पकड़कर ले आई तथा बड़ी अधिकारियों को दिखाने के लिए रिपोर्ट बनाई की बच्चा लेकर महिला भाग रही थी काफी दौड़कर पुलिस पकड़ कर बच्चा को बरामद किया है हिंदुस्तान अखबार में छपा की बच्चा पहुंचाने वाली महिला को ही पुलिस ने जेल भेज दिया।

☞ **पटना जिला के दनियावां थाने के राक्षसी चरित्र के पुलिसकर्मियों के करतूतों की करामात :-** आकाश कुमार, पिता झुलफन सिंह ग्राम पाली हाल्ट थाना बिहटा ने एफआईआर लिखाया कि चालक चंदन कुमार दनियावां बाजार से पहले गैस गोदाम के सामने रोड से किनारे गाड़ी को खड़ी कर खाना खाने बाजार चला गया, जब वह खाना खाकर गाड़ी के पास आया तो वहां पर गाड़ी नहीं मिली। दरोगा जी गाड़ी गिरोह द्वारा लूट का मामला कैसे बनाए। बताया जाता है कि आकाश कुमार ने बहनोई चंदन को कमाने खाने के लिये दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंदन ने गाड़ी को बेच दिया तथा गाड़ी मालिक को सूचना दिया कि गाड़ी चोरी हो गई। चंदन के बदले गाड़ी मालिक आकाश ने दनियावां थाना को सूचना दिया कि गाड़ी चोरी हो गई है। एफआईआर में लिखा है कि कि गाड़ी चोरी हो गई। गाड़ी बेचने वाले चन्दन कुमार को दनियावां पुलिस से बचा लिया, बाल बांका नहीं होने दिया। दनियावां थाना को मौका मिल गया अपना नाम

दनियावां से छह वर्षीय बच्ची थी लापता, फतुहा से हुई थी बरामद

बच्ची की बलि के आरोप में पुलिस ने महिला व उसके परिवार को पीटा

प्रतिनिधि, दनियावां

थाना क्षेत्र के दनियावां गांव की एक महिला और उसके परिवार के साथ पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्ण कार्रवाई का मामला प्रकाश में आया है. पीड़ित महिला दनियावां गांव के धनंजय साव की पत्नी रूबी देवी है जो भक्तिनी नाम से जानी जाती है और झाड़ फूंक भी करती है. उसने बताया कि उसकी गोतनी की बच्ची आयी हुई थी जो सोमवार की शाम खेलते-खेलते भटक कर फतुहा थाना के मुरेरा गांव पहुंच गयी. इस पर परिजनों ने पुलिस से शिकायत की. पुलिस बच्ची को खोजने के बजाये उसके चचेरे ससुर राम प्रवेश की बातों में आकर मेरे और मेरे परिवार से साथ मारपीट की. चचेरे ससुर ने पुलिस को बताया कि रूबी देवी झाड़ फूंक करती है और उसी ने बच्ची की बलि चढ़ा दी. इस पर पुलिस मेरे घर आयी और मारपीट की. मेरी बहू और बेटे को भी पीटा. रूबी देवी का आरोप

पीड़ित महिला उसका बेटा और बहू.

है कि इस दौरान पुलिस ने सारे सामान को तितर-बितर कर दिया और घर से ले जाकर मेरे साथ मारपीट की. वहीं पीड़िता रूबी देवी ने बताया कि चार पुरुष और दो महिला सिपाहियों ने मेरे गले का मंगल सूत्र और लॉकेट भी ले लिया. महिला का आरोप है कि मेरे कपड़े खोलकर पीठ पर लाठी-डंडे से पीटा गया, जिससे मेरे शरीर पर जख्म के निशान हो गये हैं. मैं पुलिस से गुहार लगाती रही की मैंने बच्चों के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस ने मेरी एक नहीं सुनी. यह पूरे घटनाक्रम 6 वर्षीय छोटी बच्ची पार्वती कुमारी के सोमवार की शाम 6 बजे से गायब होने के बाद हुई और रात के 10 बजे से 4 बजे सुबह तक रूबी देवी और उसके बेटे और पतोहू के साथ पुलिस मारपीट करती रही. जब पार्वती कुमारी बच्ची मुरेरा गांव से मिल गयी और गांव के मुखिया बच्ची को बरामद कर उसकी मां को और पुलिस को सौंपा था. पुलिस ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बच्ची को 13 घंटे में खुद बरामद करने की सूचना पत्रकारों को दी. पीड़िता ने बताया कि मंगलवार को पुलिस वालों ने मुझसे से माफी मांग कर कहा कि हम लोगों से कल भारी गलती हो गयी. हमें माफ कर दीजिए. उसके बाद घर पहुंचा तो दिया लेकिन सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराने दिया. रूबी देवी ने रो-रो कर पत्रकारों को बताया कि दनियावां जैसी खराब पुलिस मैंने कहीं नहीं देखी, जिसे महिलाओं का सम्मान करना भी नहीं आता. इस संबंध में फतुहा डीएसपी सियाराम यादव से पूछा गया तो बताया कि सोमवार की शाम 6 वर्षीय बच्ची पार्वती कुमारी की लापता होने की सूचना मिली थी. इस संबंध में फतुहा पुलिस अनुमंडल की पुलिस टीम ने बच्ची को खोजने के लिए कई जगह छापेमारी की. इसी क्रम में महिला को पूछताछ के लिए पुलिस उसके घर गयी थी महिला द्वारा जो आरोप लगाया है उसकी जांच कर आगे कार्रवाई की जायेगी.

चमकाने, प्रमोशन पाने का रास्ता और मौका मिल गया। इस घटना से जिसे कोई मतलब नहीं है वैसे लोगों को गिरफ्तार का थाने में जमकर राक्षसी रुपी पिटाई की। बताया जाता है कि सौरभ कुमार को चार पांच घंटे लगातार पिटाई किया। अपनी राक्षसी रूप को छिपाकर अपने वरीय अधिकारियों को भी अपनी बहादुरी वाला रुप दिखाकर सुर्खियां बटोर लिया। इस राक्षस रुपी पुलिस का इतिहास नया नहीं पुराना है। कुछ दिन पूर्व निर्दोष महिला को कसाई के तरह पिटाई किया, घटना इस प्रकार है। दनियावां गांव की एक महिला रूबी देवी की माने तो उसके देवर राजीव साहू की 6 वर्षीय बच्ची खेलते हुए घर से भटक गई और वह मुरेरा गांव पहुंच गई। बच्ची के लापता होने की सूचना जैसे ही दनियावां पुलिस को मिली, बच्ची को तलाशने के बजाय वह बच्ची की चाची रूबी देवी के घर पहुंचकर बच्ची की बलि देने का आरोप लगाते हुए दनियावां पुलिस ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार करना शुरू कर दिया, पुलिस ने उसको कमरे में बंद कर बर्बर तरीके से पीटा, महिला सिपाही ने उसके कपड़े खोलकर भी पिटाई की, इतने से भी मन नहीं भरा तो उसे दनियावां थाना में लाकर गाली-गलौज करते हुए पिटाई की। थाने के पीछे झाड़ी में भी ले जाकर उसकी पिटाई की गई। उसे सूर्य मंदिर के पास लेकर गई वहां भी पुलिस ने आरोप लगाते हुए पिटाई किया। इतना ही नहीं पुलिस ने महिला के बहू -बेटे को भी प्रताड़ित किया, अगले सुबह बच्ची के मुरेड़ा गांव में सुरक्षित रहने की सूचना मिली तो पुलिस ने महिला को पीटना बंद किया। इसके बाद पुलिस अपने कुकृत्य को छिपाते हुए बच्ची को सकुशल बरामद होने का दावा किया।

एक दिलचस्प घटना पटना के तत्कालीन एसपी कुंदन कृष्णा का है। जिन्होंने कसम खाया था की डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल को जेल भेज कर रहूंगा। उस एसएसपी के कारनामे को लेकर डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कुंदन कृष्ण एसएसपी को देने के लिए उपहार में साड़ी, साया, सिंदूर, टिकुली आदि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेज दिया। इस घटना से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से झूठे केश से अवगत थे। बताया जाता है कि यह उपहार को देखकर माननीय नीतीश कुमार आग बबूला हो गए और भला बुरा कहा। बताया जाता है कि कुंदन कृष्ण एसएसपी को कहा आज केश समाप्त करो तथा आज केश समाप्त का सूचना भेजा, थाना अध्यक्ष ने आकर सूचना दिया झूठा मुकदमा समाप्त कर दिया गया।भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण जी पटेल ने कहा मोदी जी कानून तो अच्छे बना रहे हैं जब तक ईमानदार और संस्कारवान पुलिसकर्मी की बहाली नहीं होगी तब तक न्याय की आशा नहीं की जा सकती है।●

पुलिस पर हमला : दौड़ाकर दारोगा को पीटा

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

आज पूरा बिहार अपराध का नगरी बन चुकी है। एक ओर अपराधी दिनदहाड़े गोलियों की बरसात कर भीड़ में बाजारों से गुजर जाते हैं दूसरी ओर सुरक्षा देने वाले पुलिस भी असुरक्षित देखे जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में दबंगों के अंदर पुलिस का खौफ नहीं है , पुलिस सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची तो पुलिस पर वह हमला कर दिया। पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में 24 घंटे के अंदर तीन स्थानों पर पुलिस पर हमला कर दिया गया। इसमें थानाध्यक्ष और दो दरोगा सहित पांच पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए ।मुजफ्फरपुर में तो दौड़ा दौड़ा कर दरोगा को पीटा गया ।सरकारी पिस्टल भी छीन ली गई । तीनों स्थानों से पुलिस ने 11 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। पूर्वी चंपारण के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में एक गांव में शाम को दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना पर पुलिस पहुंची तो लोगों ने घेर लिया तथा लाठी डंडे से हमले के साथ पथराव भी किया। दरोगा मनोज सिंह की गर्दन दबाने लगे, उनकी वर्दी फाड़ दी। दूसरी घटना संग्रामपुर थाना क्षेत्र के संग्रामपुर बढ़ई टोला गांव में हुई बुधवार की देर शाम बच्चों के विवाद में हुई चाकू बाजी की जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया, इसमें प्रभारी थानाध्यक्ष अजय कुमार, राहुल कुमार, वाल रक्षक बालकृष्ण प्रसाद घायल हो गए। मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज थाना क्षेत्र के नवलपुर में 9:30 बजे बदमाशों की सूचना पर पहुंचे, दरोगा पुनीत कुमार पहुंचे तो ग्रामीणों ने घेर लिया तथा चोर चोर की आवाज लगाकर दारोगा से हाथापाई शुरू कर दी। उनकी सरकारी पिस्टल छीन लिया, उन्हें दौड़ा दौड़कर पीटा गया, पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर थाने से अतिरिक्त पुलिस बल के पहुंचने के बाद दरोगा वहां से निकले ,पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत

में लिया तथा सरकारी पिस्टल पुलिस ने बरामद कर ली। पटना से बिहटा घर लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बिहटा थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव निवासी अवधेश वर्मा के पुत्र सत्यम कुमार 22 वर्ष के रूप में की गई। घर से बुला कर युवक की पीट –पीट कर हत्या। बदमाशों ने मजदूरी करने वाले 35 वर्षीय राजीव महतो को फोन कर रात 12:00 बजे घर से बुलाया और लाठी डंडे ,ईंट, पत्थर से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना अगम कुंआ थाना क्षेत्र के धनुकी गांव की है। इंस्पेक्टर के बेटे ने दारोगा को पीटा। दानापुर घर के आगे सड़क पर क्रिकेट खेल रहे युवकों को मना करना दरोगा को महंगा पड़ गया। इंस्पेक्टर के बेटे ने सब इंस्पेक्टर को मारपीट कर जख्मी कर दिया। यह घटना थाने के नासरीगंज बिस्कुट फैक्ट्री रोड के शांतिपूर्ण कॉलोनी की शाम की है। नालंदा में डॉक्टर की पीट पीट कर हत्या। नालंदा की असथामा थाना क्षेत्र के कतरी सराय मुख्य मार्ग से साकेत बिहारी गांव जाने वाली सड़क पर देर रात ग्रामीण डॉक्टर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई ।मृतक की पहचान कलिहारी गांव निवासी राजेश कुमार गिरी के पुत्र सुमन कुमार गिरी के रूप में की गई। चौकीदार के नाती समेत दो युवकों ने किशोरी के साथ किया गैंगरेप। शेखपुरा अरियरी थाना क्षेत्र के एक गांव से किशोरी को अगवा कर दो लोगों ने हथियार के बल पर गैंग रेप किया। इस घटना में टाउन थाना पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में ले लिया है। विवाहिता का शव बरामद। अथमल गोला क्षेत्र के विवाहिता की दहेज प्रताड़ना मामले में हत्या कर शव गायब कर देने का मामला प्रकाश में आया है। विवाहिता सोनू कुमारी के पिता ने थाने में लिखित आवेदन दिया है कि रामनगर दियारा इलाके के गंगा नदी से शव बरामद किया है। सोनी कुमारी का एक वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, इस मामले में दामाद समेत पांच आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।●

बिहार सरकार का जनता को मूर्ख बनाने की योजना

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

बिहार सरकार जनता को मूर्खों का जमात समझती है। बिहार सरकार ने बिहार के विधवा , तलाकशुदा महिलाओं को प्रत्येक माह चार-हजार रुपए देने की निर्णय ली है। यह राशि महिला सशक्तिकरण योजना के तहत दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह राशि महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। यह राशि उन महिलाओं को दी जाएगी जिन्हें दो संतान है और उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तथा तलाकशुदा है परन्तु 18 साल से उम्र कम है। समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि इस योजना का शुभारंभ जल्दी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि महिलाओं को के लिए सशक्तिकरण के लिए सरकार को योजनाएं चलाई जा रही है। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को फूटी कौड़ी नहीं देना है परंतु देने का ड्रामा तो करना ही है। बताया जाता है कि लड़कियों का शादी 18 वर्ष से ज्यादा उम्र में होती है। इसका मतलब साफ है की जो महिलाएं शादी से पहले विधवा हो चुकी है। दूसरा है की 18 साल से कम उम्र हो और दो बच्चों की मां हो मतलब शादी की पहले तलाक शुदा हो चुकी है। क्या यह योजना है या महिलाओं के प्रतिष्ठा पर तमाचा है। भाजपा मीडिया प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने बिहार सरकार को कहा है कि गरीब महिलाओं की प्रतिष्ठा पर तमाचा न चलाएं?●

एस.पी. आशीष के कुशल नेतृत्व में बदल गई विधि व्यवस्था

● **दीपनारायण सिंह दीपक**

छपरा जिले की विधि व्यवस्था जब उथल पुथल थी अपराधी एक के बाद एक बड़े अपराध की घटना को अंजाम दे रहे थे। हत्या, अपहरण, लूट जैसे जघन्य अपराध की घटना आए दिन सामने आ रहे थे। जिले की विधि व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी। उस समय पुलिस के लिए जिले में विधि व्यवस्था को स्थापित करना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही थी। जिले की विधि व्यवस्था को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उस समय एसपी कुमार आशीष को मिली। छपरा जिले की जिम्मेदारी मिलने के बाद एसपी ने तत्काल जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के वर्तमान हालात को पूरी तरह से अध्यन किया। जिले के हालात को जानने के बाद वे सर्वप्रथम जिले के आम जनमानस के बीच पुलिस मैत्री स्थापित करने की दिशा में काम किया। इसके बाद वे अपराधियों एवं माफियाओं पर नकेल कसने की रणनीति तैयार की उस रणनीति के तहत उन्होंने पूर्व में हुए कई बड़े अपराध की घटना जिसकी गुत्थी अनसुलझी थी उन सभी घटनाओं का एक के बाद एक कर उद्‌भेदन किया। जिले के लगभग सभी मोस्टवांटेड अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। शराब एवं बालू माफियाओं पर भी उन्होंने एक अभियान के तहत

नकेल कसने का काम किया। वर्तमान में जिले में उनके कुशल नेतृत्व के कारण जिले में विधि व्यवस्था स्थापित हुई। आम जनमानस का पुलिस के प्रति जो धारणा थी वह समाप्त करने एवं पुलिस से मैत्री संबंध स्थापित करने में उन्होंने सफलता पाई। आज जिले में उनकी पुलिसिंग की कहानी आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। राज्य के सफल आईपीएस अधिकारी के नामों में उनके नामो को भी लोग सुमार कर रहे हैं ।

☞ **जिले में विधि-व्यवस्था, अनुसंधान की गुणवता, कांडो के निष्पादन को लेकर एसपी नें रणनीति के तहत काम करने के दिए निर्देश :-** पिछले दिनों छपरा जिले के सारण समाहरणालय स्थित सभागार कक्ष में माह जुलाई 2024 का अपराध निरोध गोष्ठी एसपी कुमार आशीष की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। गोष्ठी में सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक (मु0), पुलिस उपाधीक्षक, अंचल पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष, सभी शाखा प्रभारी तथा अभियोजन पदाधिकारी शामिल रहे। गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक द्वारा विधि-व्यवस्था, अनुसंधान की गुणवता, कांडो के निष्पादन, मद्यनिषेध महासमकालीन अभियान, अवैध बालु खनन अभियान तथा लोक संवेदना अभियान के संदर्भ में विभिन्न दिशा- निर्देश दिये गये। अपराध नियंत्रण दिशा में उन्होंने जिलान्तर्गत अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत नियमित गश्ती के अलावा थानाध्यक्ष भी नियमित रूप से क्षेत्र में भ्रमणशील रहने तथा इस दौरान अंचल पुलिस निरीक्षक के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित वारंट/सम्मन का निष्पादन कराने हेतु निर्देशित किया। थानाध्यक्ष को अपने थानान्तर्गत वित्तिय संस्थान/बैंक/सी0एस0पी0 संचालकों के साथ बैठक आयोजित कर उनकी कार्यावधि के दौरान लगातार गश्ती कर सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। चोरी वाले संवेदनशील इलाकों में निरंतर गश्ती एवं चौकसी बढ़ाने व वाहन चेकिंग के दौरान हाई स्पीड बाइकर्स, लफुआ आदि पर विशेष रूप से निगरानी व चेकिंग करने के निर्देश दिए। थानाध्यक्ष को थानाक्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले हाट/बाजार में बड़ा चाकू/तलवार आदि अन्य धारदार हथियार बेचने वाले दुकानदार को नोटिस देकर इन चीजो के बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया।

☞ **मद्यनिषेध महासमकालीन अभियान :-** एसपी ने निर्देश पर मद्यनिषेध कानून के सफल क्रियान्वयन के दृष्टिगत जिलान्तर्गत दिनांक चार अगस्त से 18 अगस्त 2024 तक 15 दिनों का महासमकालीन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सभी थानाध्यक्ष/अंचल पुलिस निरीक्षक/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अधिक से अधिक सहभागिता दिखाकर इस अभियान को सफल बनायेंगे तथा अधिक से अधिक संख्या में गिरफ्तारी एवं बरामदगी करेंगें। इस अभियान में जिला/अंचल स्तरीय ए0एल0टी0एफ0 टीम का पूर्ण सहयोग करें। जिलान्तर्गत मालखाना में पड़े शराब का शत-प्रतिशत विनष्टीकरण सुनिश्चित करेंगे तथा जो जब्त मादक पदार्थ ट्रेसलेस है उन्हें भी इन्वेंटरी तैयार कर विनष्टीकरण हेतु उचित माध्यम से प्रस्ताव मद्यनिषेध कोषांग में समर्पित करेंगें। स्प्रीट कारोबारियों या पूर्व के हूच ट्रेजडी

के अभियुक्तों के खिलाफ लगातार छापामारी अभियान चलाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। शराब सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जन-जागरूकता अभियान निरंतर चलाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं।

☞ **लोक संवेदना अभियान के तहत जनसुविधाएं उपलब्ध कराने के दिशा में पुलिस कर रही है पहल :-** जन प्रतिनिधियों, वृद्ध, महिलायें, निःशक्त एवं समाज के वंचित वर्ग के व्यक्तियों एवं जन साधारण के प्रति संवेदनशीलता लाने तथा कार्यालयों में आने वाले आगंतुकों के लिए आवश्यक जनसुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एक विशेष लोक संवेदना अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत थाना में स्वच्छ पीने का पानी, शौचालय की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, विद्युतीकरण की व्यवस्था, सुचना पट्ट/साइनेज आदि की व्यवस्था करें। थाना परिसर के सौदर्यीकरण, पौधारोपण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। जिस दिशा में पहल भी हो रहे हैं। इसके साथ ही एसपी द्वारा शुरू किये गये उन्मुखी नॉव योर पुलिस प्रोग्राम के तहत सभी थानाध्यक्ष तथा वरीय पुलिस पदाधिकारी अपने नजदीकी सरकारी स्कूलों में प्रत्येक शनिवार स्कूली बच्चों से सीधा वार्ता करेंगें। इस वार्ता के माध्यम से संवेदीकरण एंव सभावित अपराधों से बचने तथा नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेगें। डायल-112, महिला हेल्प डेस्क एवं पुलिस की अन्य सकारात्मक गतिविधि यों के बारे में जानकारी साझा करेंगें ताकि सारण पुलिस एक संवेदी नागरिक-केन्द्रित पुलिस बन सकें। मै आई हेल्प यू स्थापित कर थानों मे आने वाले आगंतुको से नम्र एवं शालीन व्यवहार रखें एवं उनकी समस्याओं को जानकर त्वरित निष्पादन करायें। पीड़ित व्यक्तियों का प्राथमिकी तुरंत दर्ज करें एवं एक प्रति पीड़ित को निःशुल्क मुहैया कराने का शत प्रतिशत अनुपालन किया जा रहा है। प्रत्येक थाना में शिकायत पेटी की व्यवस्था की गई है जहां आम जन बिना डर-भय के अपना सुझाव/शिकायत दे रहे हैं । सभी थानान्तर्गत डायल-112 के वाहनों पर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक एवं थानाध्यक्ष का मोबाईल नं0 अंकित कर प्रचारित किये जा रहे हैं। इसके साथ ही 01 जुलाई 2024 से लागू तीन नये आपराधिक कानून के सफल क्रियान्वयन तथा आमलोगों के समस्याओं के निराकरण हेतु टोल फ्री नं0-1800-345-6270, दूरभाष सं0-0612-2294189 एवं दूरभाष संख्या-0612-2294073 बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किया गया है। नये कानूनों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए उक्त दिये गये टोल फ्री नं0 तथा दूरभाष नं0 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसको लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सभी थानों में अधिष्ठापित लैंडलाईन नं0 को सक्रिय हालत में रखना है। कांडो के निष्पादन में तेजी लायें एवं प्रत्येक माह प्रतिवेदित कांडो का कम-से-कम 1.5 गुणा कांडों का निष्पादन करायें। लूट/डकैती कांडों के अलावा चोरी के कांडों का भी सफल उद्भेदन होने पर स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। मते के तहत कंट्रोल रूम से प्राप्त होने वाली समस्याओं पर हर हाल में 20 मिनट के अंदर रिसपाँस करें। छपरा शहर एवं अन्य थाना क्षेत्रान्तर्गत ट्रैफिक की समस्या से निजात हेतु आवश्यक उपाय करें एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करें। साथ ही अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध पुलिस एक्ट की धारा-34 के तहत अनुमंडल पदाधिकारी को प्रस्ताव समर्पित करने की दिशा में सफल कार्य हो रहे हैं।●

नवोदय पब्लिक स्कूल में दी गई डेंगू प्रतिरोधक की दवा

● **डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह**

पटना के कई मोहल्ला सहित, फतुहा, बख्तियारपुर, खुसरूपुर, दनीयांवा में धीरे-धीरे पांव पसारने लगा है। पटना में अब तक में से पांच अंचलों में डेंगू फैल चुका है। इनमें से बांकीपुर, कंकड़बाग, बांकीपुर आदि में फैल चुका है। पटना में अब तक की संख्या 25-26 बताई जा रही है। अधिकांश प्राइवेट अस्पताल में इलाज होने के कारण सही आंकड़ा प्राप्त नहीं हो पा रही है। सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने बताया कि डेंगू होने के मुख्य लक्षणों में तेज बुखार, समूचे शरीर में असहनीय दर्द, लाल-लाल दाने निकलना आदि इसमें से कोई भी लक्षणों मिलने पर जांच करवाना चाहिए। डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने बताया होम्योपैथिक में प्रतिरोधक दवा है। दवा का नाम म ईयूपेटोरियम परफोलियम 200 एक बूंद एक खुराक ले लेने से एक मौसम के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। कोई व्यक्ति को डेंगू फीवर हो जाने पर 6 नंबर का दवा आवश्यकता के अनुसार दिन भर में तीन चार बार ले जा सकते

हैं। गंभीर अवस्था होने पर यही दवा का मदर टींचर पांच बूंद से 15 बूंद तक उम्र के आधार पर ले जा सकती है । कोई भी दवा चिकित्सक के सलाह से ही इस्तेमाल करें।●

ज्ञान का खान हैं

खान सर

● श्रीधर पाण्डेय

ज्ञान, कर्म, तपस्या, बलिदान, कई धर्मो के संगम एवं लोकतंत्र की जननी बिहार सदियों से संघर्ष करता आ रहा हैं और इस संघर्ष करने वाली धरती पर अनेकों ने अपनी कर्मठता,दक्षता,योग्यता एवं अनुभव के दम पर बिहार का नाम विश्व के मानस पटल पर सुनहरे शब्दो मे अंकित किया हैं। चाहे बात प्राचीन काल की हो या मध्य-आधुनिक।हम सम्राट अशोक की मजबूत विकसित शासन प्रणाली की बात करें या शेरशाह के अल्पकाल शासन के विराट सोच की,आजादी के पूर्व गाँधी जी के चम्पारण सत्याग्रह से महात्मा बनने की या आजादी के बाद की जेपी के सम्पूर्ण क्रांति की ।कुछ तो बात हैं बिहार की उर्वरा में जिन्होंने यहाँ पसीने से खुद को भिगोया उसे बिहार ने सोने जैसी चमक से पूरे दुनिया में निखार दिया। आज हम बिहार के गौरवशाली अतीत की बखान नहीं बल्कि अल्प समय से बिहार में संघर्ष कर रहे एक शिक्षक की करेंगे जो बिहार ही नहीं सम्पूर्ण विश्व में अपनी ज्ञान की डंका बजा रहे हैं, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या युवा, क्या बुढ़ा सबके बीच लोकप्रिय बन चुके खान सर हैं जो अल्प समय में ही अपनी कर्मठता, दक्षता योग्यता एवं अनुभव के दम पर अपना लोहा मनवाया हैं।

गौरतलब हो कि मुगल सल्तनत एवं ब्रिटिश हुकूमत के मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारत के गौरवशाली एवं सर्व शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया था और आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी महंगी होती भारतीय शिक्षा ने युवाओं की कमर तोड़ दी थी। विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान अपने बेहतर कैरियर की तलाश कर रहे युवाओं को आज के कलियुग में खान सर हनुमान बनकर उनके संकट (आर्थिक) का मोचन कर रहे हैं। खान सर की लोकप्रियता इस बात को सिद्ध करती है कि गुरु अपने शिष्य के उज्ज्वल भविष्य के लिए समर्पित रहता हैं। किसी भी वर्ग का छात्र खान सर के व्यक्तित्व से प्रभावित होता हैं क्योंकि खान सर के जिह्वा पर माँ सरस्वती विराजमान हैं और वह अपने छात्रों को जिस भाषा में समझना चाहते हैं उसी शैली में शिक्षा देते हैं। चाहे उनका छात्र एलीट वर्ग का हों या पिछड़ा हुआ गांव का। सबसे गौरवशाली बात तो यह है कि खान सर को न सिर्फ छात्र बल्कि विभिन्न संवर्ग में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी या रिक्शा चालक व दैनिक मजदूरी करने वाले भी बड़े भाव से उनकी बातों को सुनते है। खान सर मुस्लिम समुदाय से आते हैं और सोशल मीडिया पर एक बड़ा जत्था उनके साथ हैं लेकिन उन्होंने भारत के गौरवशाली इतिहास, सनातन धर्म, भौगोलिक एवं प्राकृतिक व्यवस्था को बहुत बारीकी से समझाया हैं वहीँ दूसरी तरफ ऐसे भी लोकप्रिय कुछ व्यक्ति है जो देश तोड़ने की बात करते है लेकिन खान सर ने ज्ञान का भंडार भारतीयों के लिए खोला हैं और सबको शिक्षा मिले सब शिक्षित हो इसके लिए उन्होंने कभी धन को महत्व नहीं दिया है यही कारण है कि ज्ञान के खान के रूप में विश्व के पटल पर आज पदस्थापित है चाहे वह जाति या धर्म के कोई भी वर्ग हो।

☞ **पैसे से नहीं लोगों के भविष्य से करते हैं मुहब्बत :-** खन खन की सुनो झनकार, ये दुनिया है कालाबाजार कि पैसा बोलता हैं...। आज शिक्षा का व्यापार सबसे तेजी से फलने फूलने वाला हैं। सर्वाधिक कम निवेश में पूर्ण लाभ वाला संस्थान बन चुका हैं। पैसे के दम पर डिग्रियाँ खरीदी जाती है तो पैसे के दम पर गुरु भी। विभिन्न क्षेत्र के कारोबारी अशिक्षित होते हुए भी पैसे के दम पर योग्य शिक्षकों को खरीदकर अमीर छात्रों से उससे दुगुनी राशि वसूलते हैं। दिखाया यह जाता हैं कि संस्थान का यह शिक्षक काफी योग्य हैं और वही इस मामले में भी खान सर की लोकप्रियता सर चढ़ कर बोल रहीं है क्योंकि यह पैसे को महत्व नहीं देते हैं। इनकी प्राथमिकता धन संग्रह नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हैं आप उदाहरणार्थ देख सकते हैं कि आज सोशल मीडिया के युग में ऑनलाइन एजुकेशन के मामले मे देश की बड़ी संस्थान BYJU'S ने खान सर को खरीदने (करोड़ों) की कोशिश की थी लेकिन उनके इस ऑफर को यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि खान के पास जो ज्ञान का खान हैं उसका लाभ सर्व समान्य को उसके सुविधाजनक से प्राप्त हो। एक और मामले मे भी खान सर ने सिक्किम के एक कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल हुए थे जहां वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री भी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे और खान सर को सम्मान स्वरुप में एक मोटी रकम का चेक देकर सम्मानित किया था जिसको अविलंब खान सर यह कहते हुए चेक वापस कर दिया था कि शिक्षा का कोई कीमत नहीं लगा सकता हैं। हम भारत की गौरवशाली शिक्षा को सर्व सुलभ बनाना चाहते हैं। इस चेक की उपयोगिता खान सर से ज्यादा सिक्किम की जनता के काम मे आए इसलिए इसे मुख्यमंत्री राहत कोष में डाल दिया जाए। देश में कई ऐसे शिक्षक मिल जाएंगे जिनको इतनी मोटी रकम मिलते ही लार टपकने लगता है लेकिन खान सर को कोई धन से नहीं मन से ही प्रभावित कर सकता हैं। गौरवशाली शिक्षा पद्धति को खान सर ने पुनः जीवंत करने का प्रयास किया हैं और उसमे सफलता की ओर अग्रसर हैं।

बात छात्रों के हित की हो या रक्षाबंधन के त्योहार की खान सर जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर आज युवाओं के रौल मॉडल बन चुके हैं। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर हजारों हजार की संख्या में बहने उनको राखी बाँधकर उनका हौसला बुलन्द करती है। इनकी बढ़ती लोकप्रियता शिक्षण संस्थान के संचालकों को भी खटकता हैं तो वही टीआरपी बढ़ाने की आड़ में मीडिया भी अपनी दोहरी चरित्र दिखाने से बाज नहीं आता ।जिसको जो कहना है कह सकता हैं, देश आजाद हैं और सबको बोलने की आजादी हैं लेकिन पूजा उन्हीं को जाता हैं जिनके भीतर योग्यता, दक्षता एवं कर्मठता हो। आलोचना पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हो रहीं है। देशहित में जो काम करता हैं उसे आलोचनाओं से होकर गुजरना पड़ता हैं।●

केवल सच ने मनाया अपना 19वाँ स्थापना वर्ष

माउंटेन मैन दशरथ मांझी पर विशेषांक का हुआ विमोचन

कार्यक्रम में विभागीय मंत्री ने पत्रकारों को उचित सम्मान दिलाने का किया वादा

● अमित कुमार

'हे पथिक तू बढ़ता चल, ले संकल्प और हो निडर। जैसे नदिया बहती है, निरन्तर चींटी चलती है, हे पथिक तू बढ़ता चल...'। शैयद वसीम की यह पंक्ति केवल सच के सभी पत्रकारों में आत्म-विश्वास के साथ सफलता की बुलंदियों पर बढ़ने की प्रेरणा देती है, तभी तो राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका 'केवल सच' अपने 18 वर्षों के संघर्ष को सफलतापूर्वक पूरा कर 19वें वर्ष में प्रवेश कर गई। यहां पत्रकारों, पाठकों, विज्ञापनदाताओं का एकजुट रहने का संकल्प ही

है जो निरंतर समाज में फैली कुरितियों को खबर के माध्यम से प्रकाशित कर उजागर करती रही है। आज अपने पथ पर चलते हुए केवल सच पत्रिका ने 18 वर्ष पूरा कर लिया।

विदित हो कि 21 जुलाई 2024 को राजधानी पटना के विद्यापति भवन सभागार में जब केवल सच अपना 19वाँ स्थापना वर्ष मना रहा था, उस क्षण सभागार में बैठे मंचासीन अतिथियों के साथ देश भर से आये पत्रकारों के आंखों में ऐसी खुशी थी, जिसे बयां नहीं किया जा सकता। बता दें कि श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट के बैनर तले केवल सच राष्ट्रीय मासिक पत्रिका अपने प्रत्येक स्थापना वर्ष पर समाज और राष्ट्र को समर्पित रहे, उन्हे सम्मान के साथ विशेषांक का प्रकाशन कर स्थान देती आयी है। इस वर्ष भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिहार के पावन धरती पर गया जिले के गहलोर में जन्में पर्वत पुरूष दशरथ मांझी के दिलेर कारनामे ने दुनियां भर में अपनी ख्याति बनायी। प्रेम और श्रम के पुरोधा दशरथ मांझी की पत्नी फगुनिया के मौत का कारण बना पहाड़ को केवल छैनी-हथौड़े से 360 फुट लंबे, 30 फुट चौड़े और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। जब उन्होंने यह काम शुरू किया था तो लोगों ने उनकी मजाक लेनी शुरू कर दी थी। लोग उन्हें मानसिक तौर पर बीमार कहने लगे थे और समझाया कि ऐसा करना असंभव है, लेकिन मांझी ने हार नहीं मानी और वह लगातार पहाड़ तोड़ते रहे। उनके इस संघर्ष ने अतरी और वजीरगंज ब्लॉक की दूरी 55 किमी से महज 15 किमी हो गई। 22 वर्षों में पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने से वहां के लोगों के लिए शहर में जाने का सुगम रास्ता बन गया। उसी माउंटेन मैन के प्रेम

और श्रम के ऊपर श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट और केवल सच पत्रिका के तत्वाधान में कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम के गवाह बने माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी, जो मुख्य अतिथि के तौरपर कार्यक्रम में उपस्थित होकर शोभा बढ़ाने का काम किये। इनके अलावे विशिष्ट अतिथियों में सूचना जन-सम्पर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी, श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सिंह, पूर्व मंत्री व जाले विधान सभा से विधायक जीवेश कुमार मिश्रा, राजद के वरिष्ठ नेता व मोरवा विधायक रणविजय साहू, संगीतकार, कलाकार, निर्देशक, पूर्व मंत्री व वर्तमान लौरिया विधायक विनय बिहारी, विधान पार्षद जीवन कुमार, कथावाचक इंद्रेश जी महाराज, बिहार पुलिस ऐशोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह, पटना मेयर सीता साहू, जन अधिकार युवा परिषद्, बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर के साथ केवल सच के संपादक सह संस्थापक ब्रजेश मिश्र उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूचना जन सम्पर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी, माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी, श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सिँह, केवलसच के सम्पादक ब्रजेश मिश्रा आदि लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उद्घाटन के उपरांत अतिथियों दशरथ मांझी के चित्र पर पुष्प समर्पित कर उन्हें नमन किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि महेश्वर हजारी ने कहा की बदलते परिवेश में पत्रकारिता का दौर कठिन है बाबजूद केवल सच टीम ने स्वच्छ एवं स्वस्थ्य परम्परा का निर्वाह करते हुए लगातार 18 बर्षो तक पत्रिका का प्रकाशन एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं एवं सरकार के अच्छे कार्यो को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। निश्चित तौर पर यह बहुत ही कठिन व दुरूह कार्य है लेकिन केवलसच के सम्पादक भाई ब्रजेश मिश्रा ने अपनी पूरी टीम के साथ पूरी निर्भीकता से खबरों का प्रकाशन कर रहें हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ सरकार को आईना दिखाने का कार्य करती है सरकार कि नजरें जहां तक नहीं पहुंच पाती है वहाँ पत्रकार पहुंच कर सरकार का काम आसान करते है और सरकार अपने संज्ञान में लेकर उसे पूरी करती है। उन्होंने पत्रकारों कि समस्याओ को लेकर अपने माध्यम से सरकार तक पहुंचाने एवं सहयोग करने का भरोसा भी दिया। उन्होंने

विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले कई लोगों को समारोह में पर्वत पुरुष दशरथ मांझी केवल सच सम्मान से प्रतीक चिन्ह एवं अंग बस्त्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने दशरथ मांझी के पुत्र कि समस्याओं पर उन्होंने कहा कि इसके लिये सरकार से भी उन्हें सहायता एवं सहयोग के लिये प्रयास किया जायेगा। उन्होंने केवल सच के सम्पादक ब्रजेश मिश्रा एवं समारोह में उपस्थित अतिथियों एवं विभिन्न जिलों से आये प्रतिनिधि यों का स्वागत करते हुए दशरथ मांझी को भारत रत्न कि मांग के लिये भी अपनी तरफ से अंग्रेतर कारवाई करने का भरोसा दिया। समारोह में सूचना जन सम्पर्क मन्त्री महेश्वर हजारी को समारोह के संचालनकर्ता सह सहायक सम्पादक मिथिलेश कुमार ने बुके एवं अंग बस्त्र तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए बिहार पुलिस एशोसीएशन के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने कहा कि केवल सच कि पूरी टीम ने पिछले 19 बर्षो तक लगातार मेहनत से इसे सींच कर इस मुकाम तक पहुंचाया है जिसकी जितनी तारीफ कि जाय वह कम ही होगा। उन्होंने कहा कि मैं केवल सच के दर्जनों कार्यक्रम का हिस्सा भी रहा हुँ मैं पटना ही नहीं देश कि राजधानी दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल हुआ हुँ। केवल सच के सम्पादक ब्रजेश मिश्रा जी का मैं आभार प्रकट भी करता हुँ कि उन्होंने विपरीत प्रस्थितियों में भी हार नहीं मानी है और लगातार पत्रिका का प्रकाशन भी करते आ रहें हैं। उन्होंने कई अपने

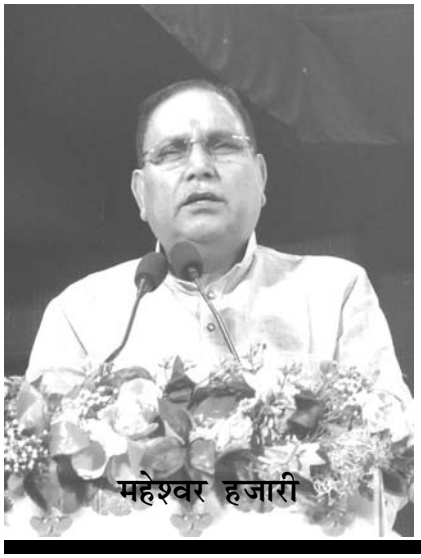
महेश्वर हजारी

संतोष कुमार सिंह

भागीरथ मांझी जी को सम्मानित करते संपादक ब्रजेश मिश्र

कई संस्मरनो को साझा करते हुए कहा कि केवलसच कई ऐसे कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाया है जिसे सरकार को करने कि जरूरत थी। केवलसच लगातार कई विभूतियों के सम्मान और उन्हें अनंत काल तक जीवंत रखने के लिये उनके नाम पर बिना सरकारी सहयोग के कार्यक्रम को सफल बनाया है। उन्होंने कहा कि मैं केवलसच पूरी टीम को शुभकामनाये एवं बधाई देता हुँ कि भविष्य में भी आप यूँ ही सच्ची एवं जनसरोकार से अपेक्षित पत्रकारिता करें। समारोह में पटना कि मेयर सीता साहूँ ने भी अपने संबोधन में केवल सच कि पूरी टीम कि सराहना करते हुए कहा कि केवलसच के सम्पादक कि कोई सानी नहीं है मै उनके हौसले और जज्बे को सलाम करती हुँ जिन्होंने अपने खून पसीने से केवल सच को इस मुकाम तक पहुंचाया है, केवलसच बिहार ही नहीं पुरे देश में अपने परिचय का मोहताज नहीं है इसकी पूरी टीम पूरी निर्भीकता के साथ सकारात्मक पत्रकारिता कि पक्षधर रही है। उन्होंने कहा कि मैं भी कई कार्यक्रमों का हिस्सा रही हुँ मैं सम्पादक ब्रजेश भाई का आभार भी प्रकट करता हुँ जिन्होंने मुझे अपने कार्यक्रम में बतौर अतिथि बनाकर मुझे सम्मान दिया। उन्होंने दशरथ मांझी को देश व दुनियां में प्रसिद्धि एवं उनके द्वारा किये गए अकल्पनीय कार्यों का परितोशिक उनके परिवार को मिलने कि वकालत भी कि समारोह में ब्रजेश मिश्रा कि धर्म पत्नी के आकस्मिक निधन पर दो मिनट का मौन धारण कर दिवगन्त

जिवेश मिश्रा

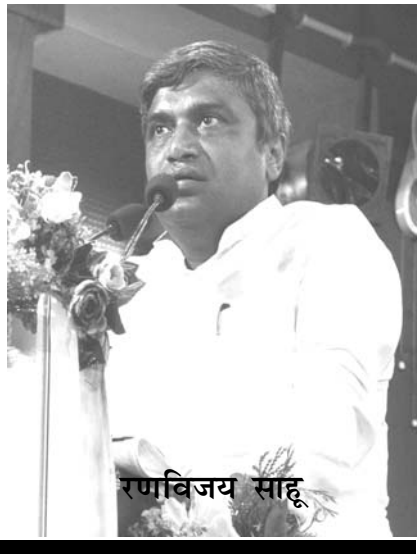

रणविजय साहू

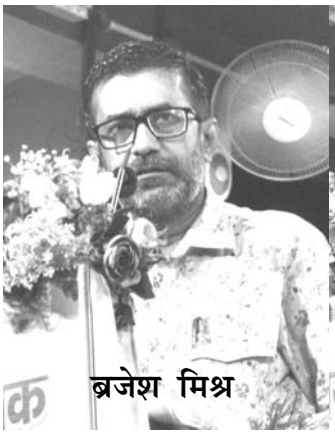
ब्रजेश मिश्र

विनय बिहारी

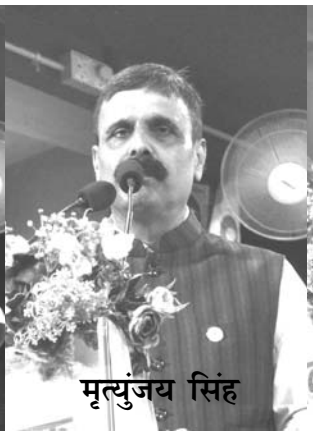
मृत्युंजय सिंह

इंद्रेश जी महाराज

आत्मा कि शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना भी किया गया।

समारोह में आये लौरिया विधायक सह भोजपुरी लोकगायक व पूर्व मंत्री विनय बिहारी के द्वारा दी गयी प्रस्तुति ने महफिल में समाँ बांध दिया। समारोह में कथावचक इन्द्रेश जी महाराज ने अपने ओजस्वी संबोधन से लोगों का दिल जीत लिया, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में मानव धर्म भी निहित है। मानवीय मूल्यों को बचाने एवं अपनी सभ्यता संस्कृति कि रक्षा करना प्रत्येक मानव का धर्म है। उन्होंने कहा कि बाबा दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी के वियोग में सिर्फ पहाड़ ही नहीं तोड़ा था बल्कि उन्होंने करोड़ो देशवासियो को यह संदेश दिया है कि प्यार, मोहब्बत सिर्फ जज्बातों से नहीं दिलों में बसने वाले उन रुहों के प्रति बफादारी भी निभाती है। उन्होंने कहा कि दशरथ मांझी ने दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, निष्ठा, त्याग, समर्पण, धैर्य, सहनशिलता एवं प्रेम कि परिभाषा को परिभाषित भी किया है। समारोह में महावीर कैंसर संस्थान के सर्जन सह पटना कैंसर सेन्टर के निदेशक डॉ नवीन कुमार एवं डॉ कनकलता को लौरिया विधायक विनय बिहारी ने चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिये प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र तथा अंग बस्त्र देकर सम्मानित किया।समारोह कि अध्यक्षता सम्पादक ब्रजेश मिश्रा ने किया। समारोह का संचालन उद्घोषक श्री कांत एवं सहायक सम्पादक मिथिलेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। सम्पादक ब्रजेश मिश्रा ने आगत अतिथियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि आपके सहयोग और प्यार के बदौलत ही इतनी लम्बी यात्रा करने में सफल हुआ हुँ। उन्होंने केवलसच के 19 वें स्थापना दिवस पर समारोह में आये अतिथियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि केवल सच अपने लक्ष्य एवं उदेश्य से कभी विमुख नहीं हुआ है। मैंने हमेशा पूरी निर्भीकता के साथ केवल सच को इस मुकाम तक पहुंचाया हुँ लेकिन इसमें आप सबों के द्वारा दिए गए सहयोग व योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी केवल सच सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर जीवन बसर कर रहें लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने एवं उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों में सहयोग करने का अंतहीन सिलसिला चलता रहेगा। उन्होंने दशरथ मांझी को भारत रत्न सम्मान देने कि मांग भी भारत सरकार से किया। कार्यक्रम में उपस्थित सरकार के मंत्री एवं विधायकों को भी इस मुहीम में साथ देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अपने विभिन्न कार्यक्रमों में सिर्फ सरकार के मंत्री विधायक ही नहीं विपक्ष एवं अन्य दलों के विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों को सम्मानपूर्वक अतिथि बनाकर उन्हें सम्मान देने का कार्य करता रहा हूं। मेरा प्रयास होता है कि हमारे कार्यक्रम में किसी भी दल के प्रतिनिधि को ठेस नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष में हमेशा साथ देने वाली एवं मुझे संबल प्रदान करने वाली मुझसे काफी दूर यात्रा पर निकल चुकी है ईश्वर से प्रार्थना भी है कि मुझे साथ में लिये वचनों को पूरा करने कि शक्ति मुझे प्रदान करें।●

जन्मजात दैवीय गुणों से युक्त थे गरभू बाबा

● **प्रो० रामजीवन साहु**

आज से लगभग 230 वर्ष पूर्व यानि 1800 ई0 में ब्रिटिश शासन के काल खंड में बिहार प्रांत के जमुई जिला अंतर्गत बरहट प्रखंड के कटौना गाँव के यादव कुल में गरभू बाबा (गरभू कुंवर) का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का विवाह किशोरावस्था में ही हो गया था। विवाह के कुछ वर्ष: बाद ही गौना भी हो गया था। दुर्भाग्य से गौना के आठ दिन बाद ही उनके पिताजी की अकाल मृत्यु हो गई। उनके ग्यारहवाँ पीढ़ी के 65-70 वर्षीय श्री टूही यादव और उसी गाँव के 65-66 वर्षीय रामनीति पांडेय ने बताये कि उनके मृत्यु के 4-5 महीनों के पश्चात ज्ञात हुआ कि वह विधवा गर्भवती है। उस महिला का नाम भिखनी देवी थी।गर्भवती जान सभी आश्चर्य अनुभव करने लगे। कुछ ही दिनो के बाद पूरे क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बन गया। समय जाते देर न लगी।नौवां महीना आ गया। बच्चे का जन्म देने का समय भी आ गया। घर में चर्चा होने लगा कि अब डगरिन को बुलाना चाहिए। इसी चर्चा के बीच गर्भ से आवाज आई कि डगरिन बुलाने की आवश्यकता नहीं है। बिना कष्ट का बच्चा का जन्म हो जाएगा। कुछ ही देर के पश्चात बच्चा का पदार्पण हुआ। इसके साथ ही जो समाज में गलत चर्चाऐं थी, वह समाप्त हो गया। साथ ही ग्रामीणों को अनुभव होने लंगा कि यह बच्चा जन्मजात दैवीय गुणों से युक्त है। गरभू बाबा गर्भ से ही आवाज दिये थे, इसलिए उनका नाम गरभू रखा गया। गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण इनकी माताजी को दूसरे के घरों में कुटाई-पिसाई करनी पड़ती थी। इस तरह किसी प्रकार जीवन- यापन चल रहा था। इस गरीबी जीवन व्यतीत करने के पश्चात भी गरभू बाबा बलिष्ठ बन गए थे। अपने से दुगुना उम्र वाले को भी वे उठाकर पटक देते थे। मुझे लगता है कि इसी काल खंड से यह मुहावरा प्रचलित हुआ है कि ष्सांड़ का बेटा सांढ़ष् होता है। गरभू बाबा कटौना के पहड़तल्ली के पास पोखर के बगल में एक अखाड़ा बना रखे थे।वहाँ प्रतिदिन प्रात: काल में कुश्ती किया करते थे। किदवदंति यह भी है कि जब वे अपने जांघ पर ताल ठोकते थे, तो उसकी आवाज इतनी कर्कश निकलती थी कि वहां से गुजरने वाली गर्भवती महिलाओं का गर्भ गिर जाता था। उनके बलिष्ठता का चर्चा राजा गुलाब सिंह के कानों में पड़ी, तो वे उनको गाय-भैंस चराने के लिए अपने यहाँ नियुक्त कर लिये। अब वे राजा के गाय-भैंस चराने लगे। एक दिन वे गाय चराते-चराते बेलिया जंगल चले गए, जो दूसरे राजा के परिसीमन में था। वहाँ पर मधु जख नाम का व्यक्ति ने उन्हें इस जंगल से बाहर जाने का आदेश दिया। वे उसके इन बातों का अनसुनी कर दिये । गरभू बाबा के इस रवैये से वह क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में उसे मारने के लिए एक बाघ को भेजा।बाघ को देखकर वे जरा भी नहीं घबराए।उन्होने बकरी के बच्चे के समान उसे पकड़ कर नाक में रस्सी बांध दिये और अपने साथ लेकर चल दिए। इस दृश्य को देखकर बाघिन दहाड़ते हुए, वहाँ आ गयी। बाघिन को देखकर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गये और बोले आप जननी हैं। आप देवी स्वरूपा हैं, इसलिए मैं आपको न कुछ कहूंगा और न कुछ करूंगा। मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ। बाघिन पर इन सभी बातों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा और वह वहीं उन्हें मार कर छोड़ दी और चली गई। अब बाबा को अपनी सदगति के लिए लाश को जलाना आवश्यक था। कुछ देर के बाद एक वनवासी गुजर रहा था, तभी एक आवाज आई कि हे पथगामी इस जगह पड़े लाश को जला दो। उस व्यक्ति ने कहा हे अज्ञात नर या नारायण मैं आपका कोई नहीं हूँ। इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तब उन्होने फिर कहा। हे भाई तुम सिर्फ इतना काम करो? इसी जगह चुल्हानुमा गड्ढा खोदकर उस पर लकड़ियों को सजाकर उस पर लाश रख देना। उसके बाद गड्ढे में पत्थर को पत्थर से मारो। उससे आग निकलेगी फिर लकड़ियॉ जलने लगेगी साथ ही साथ लाश भी जल जाएगी।उसके बाद मेरा सारा बुझाने के लिए नूमर गाँव से दूध ले आना। जब वह नूमर गाँव गया, तो वहाँ किसी ने दूध नहीं दिया। वह निराश होकर दारू से सारा को बुझाया । दूध नहीं देने के कारण गरभू बाबा नूमर गाँव पर क्रोधित हो गये।कुछ ही दिनों के बाद ही एक ऐसी महमारी

वहाँ फैली कि उसमें सात सौ लोग काल के गाल में चले गए। राजा गुलाब सिंह को ब्रिटिश सरकार ने किसी जुर्म में बंदी बनाकर जेल भेज दिया था। इसलिए एक रात्रि उनकी माताजी जोर-जोर से रो रहीं थी और कह रहीं थीं कि जो कोई व्यक्ति मेरा बेटा को जेल से निकाल देगा, उनको ईनाम में आधा राज्य दे दूंगी और यदि कोई दैवीय शक्ति निकाल देंगे, उन्हें प्रतिदिन एक पाठा बलि दूंगी। फिर क्या था गरभू कुँवर राजा गुलाब सिंह को छुड़ाने के लिए जेल पहुँच गए। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए कि सभी जगह पहरेदार खड़ा है और सभी द्वार में ताला लगा हुआ है फिर भी यह अंदर कैसे आ गया। तब गरभू कुँवर बोले कि सभी द्वार खुले हुए हैं और सभी पहरेदार सोये हुए हैं। हमलोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए और वे दोनों जेल से निकल चलें। उसके बाद दोनों जेल से निकल कर अपने राजमहल की ओर चल दिये। चलते -चलते जब अपने गांव के निकट आये, तब गरभू कुँवर ने कहा कि अब आप अकेले राजमहल चले जाइये। राजा ने कहा मैं तुम्हारे साथ ही घर जाउंगा। उसके बाद गरभूजी ने कहा ठीक है। आप यहां बैठिये और मैं पखाना कर के आता हूँ। उसके बाद चलेंगे।उसके बाद वे पखाना करने चले गए। थोड़ी देर के बाद एक बाघ वहाँ आ गया। बाघ को देख राजा वहाँ से भागकर राजमहल पहुँच गए। राजमहल में उनको देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। पूछने पर बताए कि मुझे गरभू कुँवर जेल से लाया है। सबों ने कहा वह तो मर चुका है। इस तरह सभी आश्चर्य में जीने लगे। लगभग छः महीने बाद राजमाता को स्वप्न आया कि आपने जो संकल्प की थीं उसे भूल गईं? तब राजा ने कटौना में उनका पिंड बनाये। पिंड बनाने में 12 मन उरद का अंटा, 12 मन गेहूँ का आंटा, 12 मन जौ का आंटा,12 मन भखड़ा सिंदूर, 12 मन घी, 12 मन गंगा जल और 12 मन दूध को मिलाकर पिंड बनाया गया। राजा ने 33 डिसमिल जमीन पूजा-स्थल के लिए दिये हैं। स्वप्न में यह भी बताया गया कि अब प्रतिदिन बलि न देकर वर्ष में एक बार ही बलि देना है। इसलिए प्रतिवर्ष जेष्ठ माह या आषाढ़ माह के किसी बुद्धवार को बलि दी जाती है। जिन -जिन की मनोकामनाऐं पूर्ण होती है, वे सभी बलि देते हैं। पहली बार जब बलि देने का श्री गणेश हुआ, उस दिन रतनपुर से कटौना तक हर डेग पर बलि दी गई थी। बलि के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। उसके बाद यज्ञ समाप्त हो जाता है।●

जिला प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम

● प्रो० रामजीवन साहु

दिनांक 15 अगस्त 2024 को जमुई के ऐतिहासिक स्टेडियम श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में पूर्वाह्न 09 बजे बिहार सरकार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग मंत्री रत्नेश सादा के कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण हुआ और जमुई जिले के नाम से उनका उद्बोधन हुआ। संध्या छः बजे जमुई के चीरपरिचित शिल्पा विवाह भवन में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन जमुई जिला के पुरुषार्थी उप विकास आयुक्त श्री सुमित कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री राजेश कुमार ,जिला पंचायती राज पदाधिकारी वीरेन्द्र कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मानस मिलेन्द्र कुमार और सोनी कुमारी के कर कमलों द्वारा किया गया।

कार्यक्रम का श्री गणेश असमिया - नृत्य से हुआ। इस आरम्भिक नृत्य ने ही उपस्थित सभी दर्शकों के हृदय को छू लिया। उसके बाद क्रम से बारी-बारी से प्रत्येक विद्यालय का एक से बढ़कर कार्यक्रम होता चला गया। उसका क्रम अग्रलिखित है :- उत्क्रमिक मध्य विद्यालय, बेला, लाखोचक, ललिता नृत्य कला अकादमी, जमुई, औक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जमुई, +2उच्च बालिका विद्यालय, जमुई, +2 उच्च विद्यालय, धर्मपुरी, मणि द्वीप अकादमी, जमुई, आवासीय सैनिक पब्लिक स्कूल, नंद बिहार, जमुई, उ0 म0 विद्यालय, कल्याणपुर, उ0.म0 विद्यालय, बिहारी, औक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, मलयपुर। अंत में राष्ट्रीय गान के पश्चात कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा उप विकास आयुक्त श्री सुमित कुमार के कार्यक्रम का गवाह बने इस पंडाल में उपस्थित जमुई के राष्ट्रभक्त जनता। उनमें मुख्य हैं वरीय अधि वक्ता श्री शम्भू शरण सिंह, सैनिक पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य श्री जय प्रकाश सिंह, औक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के निदेशक डा0 मनोज कुमार सिन्हा, ललिता नृत्य कला अकादमी के प्रशिक्षिका आभा सिंह, पत्रकार अशोक कुमार सिन्हा, मणि द्वीप अकादमी के निदेशक डा0 अभिषेक कुमार, शिक्षिका सुधाजी और औक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के सचिव श्रीमती कुसुम कुमारी सिन्हा।

इस मंच का कुशलतापूर्वक संचालन हास्य रस से युक्त शायर और शारियों के साथ आज दैनिक समाचार पत्र के सरकारी पत्रकार नवडिहा निवासी डा0 निरंजन सिंह कर रहे थे।●